

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 187/2015

संस्थित दिनांक-08.06.2015

फाईलिंग नंबर-230303004042015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

बंटी उर्फ सतेन्द्र पुत्र रामरतन किरार उम्र 33 साल
निवासी रिठौरा कला थाना रिठौरा कला

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र द्वारा श्री बी0एस0 यादव अधिवक्ता।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 08 जून-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा-397/34, 302/34, एवं 307/34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 03.12.14 को करीब 9.15 बजे गुलशन महावीर किराना स्टोर जैन मंदिर के पास सब्जी मण्डी मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी मोहित जैन की दुकान में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लूट करने के सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में उसने खतरनाक आग्नेयुद्ध का उपयोग कर तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उनके आधिपत्य से रूपयों की लूटकारित की एवं फरियादी मोहित जैन के भाई मृतक गुलशन को जान से मारने की नीयत से सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में उसने मृतक गुलशन को आग्नेयास्त्र पिस्टल से गोली मारकर उसकी साशय हत्याकारित की तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मोहित जैन के पिता आहत शांत कुमार जैन को जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में उसने आग्नेयास्त्र पिस्टल से प्राण घातक हमला किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता जिसका उसको ज्ञान था या ऐसा संभाव्य होना वह जानता था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था तथा यह भी निर्विवादित तथ्य है कि एंकाउण्टर में मारा गया शेर उर्फ रवि किरार आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का रिश्तेदार है। यह भी निर्विवादित है कि आरोपी शेर उर्फ रवि दिनांक 12.12.14 को काईम ब्रान्च एस0टी0एफ0 ग्वालियर

पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत लक्ष्मनगढ़ फ्लाईओवर से एक किलोमीटर आगे ग्वालियर की ओर मुठभेड़ में मारा गया था जिसके संबंध में थाना महाराजपुरा में अप0क0-490/14 धारा-307/34 एवं 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध हुआ था। यह भी निर्विवादित है कि सोनू नागर, विक्की उर्फ विकास मेहतर के साथ दिनांक 07.12.14 को सागरताल चौराहा से मालनपुर गैस गोदाम के पास बहोडापुर ग्वालियर में हुई मुठभेड़ में मारा गया था जिसके संबंध में अप0क0-952/14 धारा-307/34 भा0द0वि0 एवं 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध बहोडापुर में पंजीबद्ध हुआ। यह भी निर्विवादित है कि मृतक गुलशन कुमार जैन और आहत शांत कुमार जैन पुत्र पिता हैं। रिपोर्टकर्ता मोहित भी शांतकुमार का पुत्र है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी मोहित कुमार जैन की सब्जी मण्डी मालनपुर में जैन मंदिर के पास गुलशन महावीर किराना स्टोर की दुकान है। दिनांक 03.12.14 को रात्रि करीब सवा नौ बजे वह व उसका भाई गुलशन तथा पिता शांतकुमार दुकान पर बैठे थे। उसी समय करीब 30-35 साल का व्यक्ति लाल स्वेटर पहने ब्राउन टोपा लगाये आया और एक शंकर छाप बीड़ी का बण्डल, एक राजश्री का गुटखा खरीद कर चला गया था। तत्काल बाद ही वही आदमी अपने साथ दो लड़के जिनकी उम्र 20-22 साल की होगी, को लेकर आया। उनमें से एक लड़का काली टीशर्ट पहने था। दुकान पर बैठे भाई गुलशनकुमार को बिना कुछ कहे 30-35 साल के आदमी ने पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली मारी। भाई गुलशन ने चिल्लाया तो उसे उसके पास बचाने लगे। तभी काली टी शर्ट वाले ने पापा को जान से मारने की नीयत से पिस्टल से गोली मारी। तीसरा लड़का भी उसके पापा को पकड़ रहा था। उसके भाई गुलशन को पिस्टल की गोली की चोट दाहिने कंधे के पीछे लगी। दूसरी गोली की चोट गाल में लगी। दोनों लहलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। घटना के समय बगल की दुकान पर चाचा आनंद जैन व प्रदीप जैन थे। वह दुकान के अंदर था। हल्ला सुनकर आसपास के सभी दुकानदार आये। तभी तीनों मोटरसाइकिल से हनुमान चौक की तरफ भाग गये। उसके चाचा रौकी व अन्य लोग उसके पिताजी शांतकुमार और भाई गुलशन को गंभीर हालत में होने से ग्वालियर इलाज के लिये लेकर चले गये। घटना के समय बिजली के बल्ब जल रहे थे जिसकी रोशनी में घटना करने वाले लोगों को देखा है जिन्हें सामने आने पर वह पहचान लेगा।

4. उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अप.क्र.-243/14 पर धारा-307, 302 भा0द0वि0 का प्रदर्श पी.-01 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जप्ती, गिरफ्तारी, नक्शामौका, मेमोरण्डम व साक्षीगण के कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा-25/27 आर्म्स एक्ट एवं धारा-394 भादवि0 एवं धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत इजाफा किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-397/34, 302/34, एवं 307/34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा-313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में मृतक

शेरा किरार को अपना रिश्तेदार होना स्वीकार करते हुए सारे अपराध उसी के द्वारा किये जाना और उसे झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव में आरोपी ने स्वयं का कथन बचाव साक्षी के रूप में कराया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1- क्या आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी ने दिनांक 03.12.14 को करीब 9.15 बजे गुलशन महावीर किराना स्टोर जैन मंदिर के पास सब्जी मण्डी मालनपुर जिला भिण्ड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये सह अभियुक्त शेरा उर्फ रवि किरार एवं सोनू नागर के साथ मिलकर आहत शांतकुमार जैन तथा मृतक गुलशनकुमार जैन की दुकान में लूट, हत्या व हत्या के प्रयत्न के लिये आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया?
- 2- क्या आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी ने उक्त सुसंगत घटना में उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में गुलशनकुमार जैन की गोली मारकर साशय हत्याकारित की?
- 3- क्या आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी ने उक्त सुसंगत घटना में आहत शांतकुमार जैन पर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण के प्रयत्न में मृत सह अभियुक्तगण का सक्रिय सहयोग कारित किया?
- 4- क्या उक्त आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी ने उक्त सुसंगत घटना में मृत हुए अभियुक्तगण के साथ मिलकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में उक्त घटना कारित की?
- 5- क्या उक्त आरोपी ने उक्त निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में मृत हुए अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मोहित कुमार जैन एवं आहत शांतकुमार जैन को तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उनके आधिपत्य से रूपयों की लूट की?

---निष्कर्ष के आधार ---

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 का निराकरण

7. उक्त तीनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से डॉ० जे०पी० गुप्ता अ०सा०-16 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 04.12.14 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर की पुलिस के द्वारा मृतक गुलशन पुत्र शांतकुमार जैन उम्र करीब 20 साल के शव को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसका शव परीक्षण करने पर मृतक के एक गोलाकार घाव आधा से०मी० व्यास का जिसके किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, दाहिने कंधे पर थी, जो प्रवेश द्वार था एवं एक अनियमित घाव 01 गुणित 01 से०मी० सीने के बाईं ओर था जिसके किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए थे जो निकास द्वार था। घाव के काटने पर देखने पर घाव दाहिनी ओर से बाईं ओर गया था। दाहिना फैंफडा व झिल्ली क्षतिग्रस्त थी। छाती व पेट के बीच का पर्दा फटा हुआ था। उपरोक्त

चोटें आग्नेयास्त्र से पहुंचाई गई थीं। गोली शव में नहीं पाई गई थी, आरपार निकल गई थी। एकसरे में भी शरीर में गोली नहीं पाई गई थी।

9. उक्त साक्षी डॉ० जे०पी० गुप्ता अ०सा०-16 के द्वारा मृतक गुलशन का शव परीक्षण करने के उपरान्त उसकी प्र०पी०-15 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए अपने अभिमत में मृतक गुलशन की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्राव होने से व शॉक के कारण हुई थी। जो कि आग्नेय शस्त्र से पहुंचाई गई चोटों के कारण होकर हत्यात्मक प्रकृति की थी और मृतक को उपरोक्तानुसार जो चोटें पाई गई थीं वे शव परीक्षण करने के 24 घण्टे अंतराल की थीं। मृतक का शव परीक्षण चिकित्सकों की टीम द्वारा करना बताते हुए सहयोगी के रूप में डॉ० ए०के० मुद्गल और डॉ० जी०आर० शाक्य का भी शामिल होना बताते हुए उनके शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी०-15 पर हस्ताक्षर होना भी बताये हैं। पैरा-4 में यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक को मारी गई गोली दो-तीन फीट की दूरी से चलाई गई होगी क्योंकि कालापन चोट पर तब आता है जबकि गोली दो फीट से भी कम दूरी से चलाई जावे।
10. अभियोजन के कथानक मुताबिक मृतक गुलशनकुमार जैन के साथ उसकी महावीर किराना स्टोर सब्जी मण्डी मालनपुर में दिनांक 03.12.14 की रात करीब सवा नौ बजे घटना कारित करना बताया गया है। प्र०पी०-10 के सफीना फॉर्म प्र०पी०-11 के लाश पंचायतनामा के साक्षी अमित जैन अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी मृतक गुलशनकुमार जैन की गोली लगने से मृत्यु होना बताई है। घटना के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी मोहित जैन अ०सा०-1 जो कि मृतक गुलशन का सगा भाई है जिसके द्वारा घटना की एफ०आई०आर० भी दर्ज कराई गई थी, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में गुलशनकुमार की मृत्यु गोली लगने से होना बताई है। घटना के अन्य साक्षी शांत कुमार अ०सा०-2, आनंदकुमार जैन अ०सा०-3, राजेन्द्र जैन अ०सा०-6, प्रदीप जैन अ०सा०-11, इन्द्रवीर अ०सा०-13, व रामजी अ०सा०-14 और अतुल जैन अ०सा०-27 के द्वारा भी गुलशनकुमार की मृत्यु गोली की चोट से होना बताई गई है और गोली की जो चोट शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी०-15 में डॉ० जे०पी० गुप्ता अ०सा०-16 के द्वारा बताई गई है उसके अनुरूप ही उक्त साक्षियों के द्वारा चोटें बताई गई हैं अतः चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर मृतक गुलशनकुमार जैन की मृत्यु सदोष आपराधिक मानव वध श्रेणी की होकर हत्यात्मक प्रकृति की होना प्रमाणित होती है और आगे प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या मृतक गुलशनकुमार जैन को विचाराधीन आरोपी के द्वारा ही गोली मारकर साशय हत्याकारित की गई या नहीं? यह प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित व विश्लेषित करना होगा।
11. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आहत शांतकुमार जैन के संबंध में धारा-307/34 भा०द०वि० के तहत भी आरोप विरचित है जिसके संबंध में अभिलेख पर जो चिकित्सीय साक्ष्य आई है, उसमें डॉ० अवनीश शर्मा अ०सा०-5 के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी गई है कि वह सहारा अस्पताल ग्वालियर में वर्ष 2009 से आर०एम०ओ के पद पर है और दिनांक 03.12.14 की रात को करीब 10.44 बजे उसकी ड्यूटी के दौरान आहत शांत कुमार जैन को उसका भांजा राहुलसिंह व अन्य लोग लेकर आये थे जिसे गोली लगी थी जिसे उसने अस्पताल में भर्ती

किया था और प्राथमिक उपचार के पश्चात डॉ० ए०एस० भल्ला सर्जन को रिफर किया था। उसके द्वारा किये गये परीक्षण के दौरान आहत शांतकुमार के चेहरे पर सूजन और दर्द था। चोट से खून निकल रहा था और उसे गोली का घाव चेहरे की बाईं ओर था। जहाँ से प्रवेश द्वार होकर कालापन लिये हुए था तथा दूसरे प्रवेश द्वार का घाव गर्दन की बाईं ओर था। उससे भी खून निकल रहा था। एक छोटा घाव गर्दन के पीछे की तरफ भी था जिससे खून निकल रहा था। गोली के निकास का घाव नहीं था। उसके द्वारा एक्सरे कराया गया था जिसमें घाव के दो बुलेट्स (गोलियों) पाये गये थे जिन्हें डॉ० भल्ला द्वारा ऑपरेशन करके निकाला गया था। आहत की एम०एल०सी० केस शीट उसके द्वारा तैयार की गई थी जो प्र०पी०-8 है और उसने आहत को भर्ती करने के संबंध में आहत के भान्जे राहुल सिंह से लिखित रूप से सहमति ली थी जो प्र०पी०-9 है। झांसी रोड थाना पुलिस को भी उसने सूचना भेजी थी। उक्त चिकित्सक अ०सा०-5 डॉ० अवनीश शर्मा के द्वारा यह भी बताया गया है कि आहत शांतकुमार उनके अस्पताल में दिनांक 03.12.14 से 10.12.14 तक भर्ती रहा था। तत्पश्चात उसके द्वारा डिस्चार्ज किया गया था। आहत शांतकुमार को गोली कितनी दूरी से मारी गई, वह यह नहीं बता सकता है।

12. डॉ० राखी शर्मा अ०सा०-24 के द्वारा आहत शांतकुमार के संबंध में अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि वह अगस्त 2014 से सहारा अस्पताल ग्वालियर में क्लीनिकल असिस्टेंट के पद पर है। दिनांक 13.12.14 को आहत शांत कुमार को उनके अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसे आग्नेय शस्त्र की चोटें पहुंचाई गई थीं और उसका उपचार डॉ० भल्ला और उनके अधीनस्थ चिकित्सकों द्वारा किया गया था। उसने डॉ० भल्ला के निर्देशानुसार दिनांक 10.12.14 को आहत शांत कुमार को डिस्चार्ज किया था और उसका डिस्चार्ज टिकट अपनी हस्तलिपि में तैयार किया था। आहत के इलाज व ऑपरेशन से संबंधित डिस्चार्ज ट्रीटमेन्ट से संबंधित केस शीट पर डॉ० भल्ला के निर्देशानुसार उसने लिखा था जो प्र०पी०-20 है। यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं कोई उपचार आहत शांतकुमार का नहीं किया था। उक्त साक्षिया ने भी डॉ० ए०एस० भल्ला के द्वारा ही आहत का ऑपरेशन करना बताया है।

13. डॉ० ए०एस० भल्ला अ०सा०-29 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह सहारा अस्पताल ग्वालियर में दिनांक 03.12.14 को ई०एन०टी० सर्जन के रूप में कार्यरत था। उक्त दिनांक को रात 10.45 बजे शांतकुमार जैन गोली लगने से घायल होकर उनके अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसका इलाज उसकी देखरेख में हुआ था। आहत के बांये गाल एवं जबड़े की हड्डी के उपर गोली के घाव के निशान थे। बाईं तरफ का निचला जबड़ा टूटा हुआ था। दिनांक 04.12.14 को दिन के करीब 3.00 बजे उसके द्वारा आहत शांत कुमार जैन के जबड़े का ऑपरेशन किया गया था और टूटे हुए जबड़े की हड्डी को प्लेट व स्कू से ठीक किया था। गर्दन के पीछे बीचोंबीच गोली को भी उसके द्वारा ऑपरेशन से निकाला गया था। दूसरी गोली आहत की दांयी कांख के पीछे की तरफ से ऑपरेशन करके निकाली गई थी और स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक 10.12.14 को आहत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया था। प्र०पी०-8, 9 एवं 20 के चिकित्सीय दस्तावेज उसके निर्देशन में तैयार होना बताया है। उक्त चिकित्सक ने

भी ऑपरेशन के लिये आहत के भतीजे की सहमति लिया जाना बताते हुए यह कहा है कि आहत को आई हुई चोट किसी ऊंचे स्थान से गिरने से आना संभव नहीं है। न ही किसी नुकीली वस्तु पर गिरने से आना संभव है। गोली कितनी दूरी से किस दिशा से मारी गई, वह यह नहीं बता सकता है। उक्त चिकित्सक ने पैरा-4 में आहत शांतकुमार की चोट की प्रकृति गंभीर बताते हुए प्राणघातक होना भी बताई है।

14. अभियोजन के कथानक मुताबिक शांतकुमार को भी दिनांक 03.12.14 को रात करीब सवा नौ बजे उसकी महावीर किराना स्टोर जैन मंदिर के पास सब्जी मण्डी मालनपुर में विचाराधीन आरोपी के द्वारा लूट कारित करते हुए गोली मारना बताया गया है तथा एफ0आई0आर0 कर्ता मोहित जैन अ0सा0-1, मौके का साक्षी आनंद जैन अ0सा0-3, राजेन्द्र जैन अ0सा0-6, अमित जैन अ0सा0-7, प्रदीप जैन अ0सा0-11, इन्द्रवीर अ0सा0-13, रामजी अ0सा0-14 और अतुल जैन अ0सा0-27 के द्वारा भी शांतकुमार को गोली मारे जाने की बात अपने अभिसाक्ष्य में बताई गई है। आरोपी की ओर से अभिलेख पर आई चिकित्सीय साक्ष्य के खण्डन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे आहत शांतकुमार एवं मृतक गुलशन कुमार जैन को पहुंची चोटें आग्नेय शस्त्र की न होकर किसी अन्य वस्तु से या किसी दुर्घटना के फलस्वरूप पहुंची हों। ऐसी स्थिति में आहत शांत कुमार की चोटें आग्नेय शस्त्र की होने से प्राणघातक हो जाती हैं जिसके संबंध में डॉ0 ए0एस0 भल्ला के द्वारा स्पष्ट राय भी व्यक्त की गई है।

15. धारा-300 भादवि के अनुसार— **हत्या**—एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

16. **दूसरा**— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद-1 आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधधीन है—

पहला— यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा— यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो विधि के

पालन में, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्वक प्रयोग में की गई हो।

तीसरा— यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण— प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

अपवाद-2— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

अपवाद-3— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना कारित करे।

अपवाद-4— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या कूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण— ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद-5— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जावे, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाये।

17. प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर यह देखना होगा कि क्या विचाराधीन मामला ऊपर वर्णित धारा-300 के चारों खण्डों में से किसी के अंतर्गत आता है और पांचों अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है तब उसे हत्या की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि वह किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध मानववध होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या वास्तव में आरोपीगण के द्वारा ही कथानक मुताबिक बताई गई घटना कारित की गई या नहीं। यह अभियोजन को ही संदेह से परे सिद्ध करना है क्योंकि ऐसी सुस्थापित विधि है कि जब तक आरोपी दोषसिद्ध न हो जाये तब तक उसे निर्दोष माना जाता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **विजयसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 पेज 1459** में मार्गदर्शित किया गया है।

18. आहत शांत कुमार के संबंध में प्रकरण में यह देखना होगा कि जो चोटें आहत शांत कुमार को पाई गई हैं, क्या वे धारा-300 भा0द0वि0 के प्रवर्ग के अंतर्गत आती हैं क्योंकि धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाण हेतु चोटें

धारा-300 भा0द0वि0 के प्रवर्ग में आना आवश्यक हैं जैसा कि न्याय दृष्टांत **चन्द्रभानसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2001 आई0एल0आर0(3) एम0पी0 सीरीज एन0ओ0सी0 79** में मार्गदर्शित किया गया है।

19. धारा-307 भा0द0वि0 के मामले के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अब्दुल वाहिद विरुद्ध उ0प्र0 राज्य 1980 कि0लॉ0जनरल एन0ओ0सी0-77** में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि धारा-307 भा0द0वि0 के मामले की संवीक्षा करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधिक रूप से यह देखे कि अभियुक्तगण के विरुद्ध किस धारा यथा धारा-307, 326, 325, एवं 324 भा0द0वि0 का मामला बनता है और न्यायालय को उसी विनिर्दिष्ट धारा के तहत दोषसिद्धि करनी चाहिए। उसमें भी धारा-300 भा0द0वि0 के संगठकों की पूर्ति होने पर धारा-307 भा0द0वि0 आकर्षित होने का मार्गदर्शन दिया है।

20. जहाँ तक प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों में एफ0आई0आर0 कर्ता मोहित जैन अ0सा0-1 मृतक गुलशनकुमार का सगा भाई और आहत शांत कुमार अ0सा0-2 का पुत्र होकर हितबद्ध साक्षी है। आहत शांतकुमार अ0सा0-2 मृतक का पिता है। इसके अलावा आनंद जैन अ0सा0-3, राजेन्द्र जैन अ0सा0-6, अमित जैन अ0सा0-7, प्रदीप जैन अ0सा0-11 और अतुल जैन अ0सा0-27 भी मृतक व आहत का संबंधी होकर उनकी जाति बिरादरी के ही हैं जिसके आधार पर उनकी अभिसाक्ष्य को सिरे से खारिज किये जाने का तर्क बचाव पक्ष की ओर से किया गया है क्योंकि उनकी आपस में हितबद्धता है। किन्तु प्रत्येक साक्षी का उसके द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य का गुण दोषों पर मूल्यांकन करना होता है। जाति बिरादरी का होने या निकट रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर किसी भी साक्षी को न तो त्यागा जा सकता है न ही इस आधार पर अविश्वसनीय माना जा सकता है। यह अवश्य है कि ऐसे साक्षियों की हितबद्धता को देखते हुए उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाना अवश्य ही अपेक्षित है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **दयाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2004 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-524 एवं स्वर्णसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1976) 4 एस0सी0सी0 पेज-369, सलीम शाह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2007) 1 एस0सी0सी0 पेज-699, वीरेन्द्र पोतदार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-233** में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। जो प्रकरण में भी लागू किये जाने योग्य हैं।

21. शांतकुमार जैन प्रकरण में आहत भी है और आहत साक्षियों के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि आहत साक्षी का विधि में विशेष स्थान होता है तथा ऐसा साक्षी घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति की इन्विल्ट गारंटी रखता है और उसके संबंध में ऐसी कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि वह असल अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फंसायेगा। जब तक कि ऐसा करने के अच्छे आधार अभिलेख पर उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के लिये उपलब्ध न हों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-2552** में यह भी सिद्धान्त

प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हों।

22. उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अभियोजन की ओर से अन्य प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा। बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर बचाव का यह आधार लिया गया है कि शेर किरार आरोपी का रिश्तेदार था और शेर के द्वारा जो भी अपराध किये गये हैं उनमें पुलिस के द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके अन्य भाईयों को भी फंसा दिया है। जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय वह मुरैना कोतवाली में बंद था। आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र किरार ने धारा-315 दप्रसं के तहत ब0सा0-1 के रूप में दिये अपने अभिसाक्ष्य में भी इसी तरह के वृत्तांत का अनुसरण किया है कि पुलिस के द्वारा उसे पूर्व से पुलिस अभिरक्षा में होते हुए प्रताड़ित किया गया और उसे उक्त अपराध में संलिप्त कर दिया जबकि वह घटना में शामिल नहीं था और पहले से ही उसे काईम ब्रान्च ग्वालियर की टीम के द्वारा जगह जगह निरोध में रखकर प्रताड़ित किया गया तथा शेर का एन्काउण्टर कर दिया और शेर के बहनोई से बरामद की गई पिस्टल भी उससे गलत रूप से बरामद होना बता दी है। नरेन्द्र निगम और उसके आगरा वाले मोनू मामा को काईम ब्रान्च ने पैसे लेकर छोड़ दिया। उसने अपनी उपस्थिति आगरा में अपने मामा के यहाँ घटना के समय होना बताई है। लेकिन उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण या अन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विचाराधीन आरोपी से मृतक या आहत या उनके परिजनो की कोई पूर्व से किसी भी प्रकार की रंजिश या बुराई नहीं थी। न ही किसी तरह की कोई जान पहचान थी। ऐसे में आरोपी की ओर से जो बचाव का आधार लिया गया है और जिसके संबंध में उसने ब0सा0-1 के रूप में अपना जो अभिसाक्ष्य दिया है उसका कोई आधार न होने से आरोपी की बचाव साक्ष्य विधिक महत्व नहीं रखती है। हालांकि यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन साक्षी की तरह ही बचाव साक्ष्य को भी विश्लेषण में लिया जाना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **जनरैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए0आई0आर0 1996 एस0सी0 पेज-755** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जिसमें यह भी बतलाया गया है कि मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर ही रहता है और प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश होने पर वह उसी पर वापिस नहीं आता है।

23. आरोपी के विरुद्ध धारा-11 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत भी आरोप विरचित होकर विचारण किया गया है। घटनास्थल प्र0पी0-1 एफ0आई0आर0, प्र0पी0-2 के नक्शामौका मुताबिक मृतक गुलशन जैन एवं आहत शांतकुमार जैन की जैन मंदिर के पास सब्जी मण्डी मालनपुर स्थित किराने की दुकान की घटना बताई गई है। घटनास्थल के संबंध में रिपोर्टकर्ता मोहित कुमार जैन अ0सा0-1 ने भी सकारात्मक साक्ष्य देते हुए प्र0पी0-2 का नक्शामौका अपनी निशादेही पर पुलिस द्वारा तैयार करना बताया है तथा नक्शामौका तैयार करने वाले निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-30 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उसकी पुष्टि की है। घटनास्थल के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में नहीं आई है। मोहितकुमार जैन अ0सा0-1 के मुताबिक फरियादी की दुकान के

आसपास और भी दुकानें बताई हैं। स्वयं घटना के आहत व महत्वपूर्ण साक्षी शांतकुमार जैन अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दुकान की स्थिति के बारे में पैरा-3 में यह स्पष्ट किया है कि उसकी दुकान व निवास एक ही भवन में है। दुकान का दरवाजा रोड तरफ है जो सब्जी मण्डी तरफ बनी है तथा दुकान एवं भवन के दरवाजे अलग-अलग दिशाओं में हैं। दुकान से लगा हुआ जो मकान है और दुकान में से मकान में नहीं जा सकते हैं। गैलरी से होकर मकान में जाते हैं। दुकान से मकान में जाने के लिये बांये हाथ में गैलरी का मुड़ना होता है और फिर बांये हाथ की तरफ मुड़ते हैं। यह स्थिति भी प्रकट की है कि घर से उसकी दुकान दिखाई नहीं देती है किन्तु घटना दुकान के नीचे उसने भी बताई है। आनंदकुमार जैन अ0सा0-3 ने भी दुकान के नीचे की घटना बताई है।

24. घटनास्थल के संबंध में पटवारी उदयसिंह अ0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में मालनपुर पर हलका पटवारी रहते हुए घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0-7 का नक्शामौका तैयार करना बताते हुए दुकान का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर और मकान का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर बताया है। अर्थात् उक्त पटवारी के अभिसाक्ष्य से घटनास्थल मालनपुर पटवारी हलका का होना प्रमाणित है और मालनपुर राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत आता है। घटना दिनांक 03.12.14 की है। उक्त दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-3 राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था। अर्थात् घटनास्थल वाला स्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत था। ऐसे में यदि लूट और हत्या व हत्या के प्रयास की घटना प्रमाणित होती है तो डकैती प्रभावित क्षेत्र होने से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-11 का उल्लंघन माना जावेगा जो उक्त अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। पटवारी नक्शा के संबंध में टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-30 के द्वारा तहसीलदार गोहद को घटनास्थल का नक्शा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्र0पी0-24 का पत्र लेखबद्ध करना बताया है और पटवारी उदयसिंह अ0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस के बुलाये जाने पर उक्त अपराध में प्र0पी0-7 का नक्शामौका तैयार करना बताया है। ऐसे में उपलब्ध साक्ष्य से घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र का होना प्रमाणित हो जाता है।

25. अभियोजन के मूल कथानक अनुसार जब दिनांक 03.12.14 की रात करीब सवा नौ बजे शांतकुमार जैन और उसका पुत्र गुलशनकुमार व मोहित दुकान पर थे तब 30-35 साल की उम्र का एक व्यक्ति जो लाल स्वेटर पहने व ब्राउन टोपा लगाये हुए था, दुकान पर बीड़ी, बिण्डल व राजश्री गुटका खरीदकर ले गया था। उसके तत्काल बाद ही वही व्यक्ति दो अन्य 20-22 साल की उम्र के लड़कों को साथ लेकर दुबारा आया। जिनमें से एक लड़का काली टी-शर्ट पहने था। दुकान पर बैठे गुलशनकुमार को बिना कुछ कहे सुने 30-35 साल वाले व्यक्ति ने पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। गुलशन के चिल्लाने पर शांतकुमार बचाने लगा तो उसे काली टी-शर्ट वाले ने जान से मारने की नीयत से पिस्टल से गोली मार दी थी और गुलशन के चिल्लाने पर शांतकुमार बचाने लगा तो उसे गाली टी-शर्ट वाले ने जान से मारने

की नीयत से पिस्टल से गोली मारी और तीसरे लडके ने शांतकुमार को पकड़कर रखा। गुलशनकुमार को जो गोली लगी वह दांये कंधे के पीछे लगी। दूसरी गोली पीठ में बाईं तरफ लगना बताया है। तथा शांत कुमार को एक गोली कंधे में और दूसरी गोली गाल में लगना बताई गई है तथा घटना के समय आनंद जैन व प्रदीप जैन की उपस्थिति भी बताई है।

26. यह भी घटनाक्रम आया है कि हल्ला सुनकर आसपास के दुकानदार भी आ गये थे। फिर तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से हनुमान चौक की तरफ भाग गये और वे गुलशन व शांतकुमार को इलाज के लिये ग्वालियर तत्काल ले गये। बिजली के बल्ब की रोशनी भी घटनास्थल पर बताई गई है तथा बदमाशों के पहुंचने की बात का भी एफ0आई0आर0 में उल्लेख है। प्र0पी0-1 की उक्त एफ0आई0आर0 मोहितकुमार जैन अ0सा0-1 के द्वारा लेखबद्ध कराई गई है जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी बताया गया है। परीक्षित साक्षियों में से मोहितकुमार जैन मृतक गुलशन का सगा भाई और आहत शांतकुमार का पुत्र है। आनंद जैन अ0सा0-3, राजेन्द्र कुमार जैन अ0सा0-6, अमित जैन अ0सा0-7, प्रदीप जैन अ0सा0-11 पड़ोसी दुकानदार तथा अतुल सिंह अ0सा0-27 भी पड़ोसी बताया गया है जो कि मृतक और आहत की जाति बिरादरी के भी हैं। इस आधार पर बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षियों को हितबद्ध साक्षी होने का तर्क करते हुए उनकी अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराये जाने का तर्क किया गया है। किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी साक्षी पर उसके रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर न तो अविश्वास किया जा सकता है न ही उसे त्यागा जा सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **स्वर्णसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1976) वोल्यूम-4 एस0सी0सी0 पेज-369 एवं सलीम शाह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2007) 1 एस0सी0सी0 पेज-699** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये साक्षियों के एक ही जाति के होने और मृतक व आहत के उनके जाति के होने के आधार पर उनकी अभिसाक्ष्य को खण्डित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उपरोक्त साक्षियों की घटनास्थल वाली दुकान के आसपास ही उनके स्वयं के प्रतिष्ठान और अतुल का निवास होने की साक्ष्य आई है जिसके संबंध में कोई खण्डन प्रतिपरीक्षा में भी नहीं है।

27. शांतकुमार अ0सा0-2 जो घटना का आहत भी है और आहत व्यक्ति के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि आहत व्यक्ति घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति की इन्चिल्ट गारंटी रखता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2010) वोल्यूम-10 एस0सी0सी0डी0 पेज-259** में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है और आहत साक्षी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-2552** में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के सुदृढ़ आधार अभिलेख पर न हों। जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े स्तर के विरोधाभाष या कमी के रूप में आते हैं। इस संदर्भ में आहत शांतकुमार अ0सा0-2 की साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा।

28. आहत शांत कुमार जैन अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी की

पहचान करते हुए यह बताया है कि करीब एक साल पहले दिनांक 03.12.14 के रात करीब सवा नौ बजे की घटना है। जब वह अपनी सब्जी मण्डली मालनपुर स्थित दुकान का सामान लगा रहा था। अचानक गुलशन ने आवाज दी कि बंटी किरार ने उसे गोली मार दी जिसके साथ एक व्यक्ति और था जिसने उसे गोली मारी थी जो कनपटी में लगी थी। दूसरी पीछे की तरफ कंधे में लगी थी और वह तथा उसका लडका गुलशन घायल अवस्था में इलाज के लिये सहारा अस्पताल ग्वालियर गये थे। आरोपी और उसके साथियों ने पिस्टल से गोली मारी थी। एक तीसरा व्यक्ति उसे पकड़े रहा था। घटना के समय उसका छोटा लडका मोहितकुमार भी दुकान पर ही था। उन्हें अस्पताल रॉकी आनंद आदि लेकर गये थे। अस्पताल में गुलशन की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी का यह भी कहना है कि गोली चलाने की घटना के पूर्व एक व्यक्ति उसकी दुकान पर शंकर छाप बीड़ी बिण्डल और राजश्री की पुडिया लेकर गया था। कुछ देर बाद उसी के साथ दो अन्य व्यक्ति दुकान पर आये थे जिनमें से उसने विचाराधीन आरोपी को शामिल होना बताया है।

29. अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह घटना के पूर्व आरोपी को नाम से नहीं जानता था। आरोपी ने स्वयं नाम लेकर कि मैं बंटी किरार हूँ, गुलशन को पिस्टल से गोली मारी थी। गुलशन ने आवाज दी थी कि बंटी किरार ने गोली मार दी। यह बात उसने पुलिस को बयान देते समय प्र0डी0-2 में बताई थी। गुलशन को गोली पीछे से मारी गई थी। आरोपी बंटी और सतेन्द्र दुकान के अंदर था जिसने गुलशन के पास करीब दो फीट की दूरी से पिस्टल से गोली मारी थी। गुलशन को एक गोली पीठ से होकर सीने में से निकल गयी थी। बंटी ने उसे गोली नहीं मारी थी। बंटी के साथी ने गोली मारी थी जो काली टी-शर्ट पहने था और काली टी-शर्ट वाले ने गुलशन को गोली नहीं मारी थी। इस प्रकार से उक्त आहत गुलशन पिस्टल से गोली हाजिर अदालत आरोपी द्वारा मारना तथा स्वयं को उसके साथी के द्वारा गोली मारना बताता है। स्वीकृत तौर पर आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के साथ जिन दो लडकों का साथ आना बताया गया है उनकी पुलिस एन्काउण्टर में मृत्यु हो चुकी है।

30. अ0सा0-2 ने आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को घटना दिनांक को ही पहली बार जब वह पुड़िया लेने आया था तब देखना और उसके बाद साक्ष्य के दौरान देखना बताया है। उसने प्र0डी0-2 का बयान देते समय पुलिस को बंटी किरार के द्वारा गुलशन को गोली मारना लिखाना कहा है। 30-35 साल के आदमी के द्वारा मारने की बात लिखाई या नहीं। इस बारे में उसे याद नहीं है। मौके पर वह रॉकी, आनंद और मोहित की उपस्थिति पैरा-3 में बताता है। घर और दुकान आगे पीछे होना तथा उनके बीच पचास मीटर की दूरी वह बताता है। पैरा-4 में आनंद व रॉकी उन्हें अपने घर से मोहित की घटना के समय दुकान में उपस्थिति के संबंध में पैरा-5 में इस आशय का स्पष्टीकरण दिया है कि उसका लडका मोहित सुबह पढ़ने के लिये ग्वालियर नौ बजे जाता था और डेढ बजे लौटता था। फिर मालनपुर में दो बजे से चार बजे ट्यूशन पढ़ने जाता था। घर पर भी पढ़ता था और शाम के समय दुकान पर आ जाता था। पैरा-6 में उसने यह भी बताया है कि जब आनंद, प्रदीप और अतुल जैन आये थे तब वह गोली लगने से बेहोश हो गया था। उक्त तीनों घटना के 10-15 मिनट बाद आये थे तब सतेन्द्र मौके

पर नहीं था। सतेन्द्र से उसकी पुरानी न तो कोई जान पहचान है न ही रंजिश थी। उसने इस बात से इन्कार किया है कि गुलशन को बंटी ने गोली नहीं मारी बल्कि लाल शर्ट वाले ने गोली मारी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि काली शर्ट वाले ने उसे गोली मारी थी।

31. घटना की रिपोर्ट करने वाले आहत शांतकुमार के पुत्र मृतक गुलशन का भाई मोहितकुमार जैन अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना की तारीख, समय व स्थान के बारे में अपने पिता अ0सा0-2 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए स्वयं की उपस्थिति दुकान पर ही बताई है और यह कहा है कि उनकी दुकान पर पहले एक आदमी शंकर बीडी का बिण्डल और गुटका खरीदकर चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ दो लोग और दुकान पर आये थे। और दुकान की बिक्री की पेटी (गल्ला) में से रुपये लूटे थे। उसके भाई गुलशन ने मना किया तो आरोपी बंटी ने उसके भाई गुलशन को गोली मार दी। गुलशन के चिल्लाने पर उसके पिता शांत कुमार बचाने के लिये आगे बढ़े तो काली टी शर्ट पहने हुए बदमाश ने उसके पापा को भी जान से मारने की नीयत से पिस्टल से दो गोली मारी। उसके भाई गुलशन को मारी गई पिस्टल की गोली उसके दांये कंधे के पीछे और दूसरी गोली कमर में उपर बाई तरफ लगी थी। तथा पिता को एक गोली गाल में एवं गर्दन में लगी थी। दोनों लहलुहान होकर गिर पड़े थे। आनंद, प्रदीप और रंकी चिल्लाने पर आये थे। तीनों बदमाश हनुमान चौराहा की तरफ मोटरसाइकिल से भाग गये। साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय लाईट जल रही थी। उसकी रोशनी में पहचान लिया था और फिर वह अपने पिता व भाई को इलाज के लिये सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर ले गया था तथा उने घटना की प्र0पी0-1 की थाना मालनपुर में रिपोर्ट की थी। इलाज के दौरान उसके भाई गुलशन की रात में ही मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि मौके पर पुलिस ने दूसरे दिन आकर खून आलूदा व सादा मिट्टी, पिस्टल के कारतूस के तीन खाली खोखे जप्त किये गये थे और उसका प्र0पी0-3 का जप्ती पत्रक बनाया गया था।

32. इस साक्षी ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान आरोपी को न्यायालय कक्ष में देखकर उसे घटना में शामिल होना बताते हुए यह कहा है कि घटना के चार पांच दिन बाद पुलिस उसे जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में लेकर गई थी जहाँ पर पी0एम0 हाउस में दो बदमाशों की लाश उसे दिखाई गई थीं जिस पर से उसने एक बदमाश की लाश को पहचानते हुए बताया था कि उसके द्वारा भी उसके भाई व पिता को गोली मारी गई थीं और यह कहा है कि जो लाश उसने देखी थीं उसका नाम सोनू नागर होना पुलिस ने बताया था जिसका प्र0पी0-4 का शिनाख्तगी पंचनामा उसके सामने बनाया गया था। फिर घटना के चार पांच दिन बाद जब दुबारा अस्पताल में उसे पुलिस लेकर गयी थी तब उसने एक व्यक्ति की लाश को देखकर उसे भी घटना में शामिल होना बताते हुए उसकी शिनाख्तगी का प्र0पी0-5 का पंचनामा तैयार होना कहा है और विचाराधीन आरोपी को केन्द्रीय जेल ग्वालियर में पहचान की कार्यवाही के दौरान पहचानते हुए उसे बंटी उर्फ सतेन्द्र बताया है जिसका प्र0पी0-6 का शिनाख्तगी पंचनामा पुलिस ने तैयार किया था। पैरा-4 में उसने अपने अन्य भाई बहनों के विद्या अध्ययन के बारे में और स्वयं के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अ0सा0-2 की

तरह ही स्कूल और कोचिंग पढ़ने जाना और उसके बाद शाम को दुकान पर बैठने की बात की पुष्टि की है और यह स्वीकार किया है कि आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को वह घटना के पहले से नहीं जानता था। शिनाख्ती के समय स्वयं आरोपी ने अपना नाम बताया था। शिनाख्ती के समय सात आठ लोग मिलाये गये थे। जिनमें से आरोपी के अलावा बाद बाकी मुंह खोले थे और कंबल ओढ़े थे। सभी की उम्र 25-30 साल की थी। शिनाख्ती की कार्यवाही के लिये मालनपुर टी0आई0 ले गये थे। टी0आई0 बाहर बैठे थे वह अंदर कमरे में गया था जहाँ पर महिला अफसर थी जिसने कहा कि इनमें से पहचान लो कि कौन अपराधी है जिसने घटना की जो कार्यवाही दिन के 12-01 बजे हुई थी। पहचान के संबंध में उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। घटना के समय वह अपने भाई गुलशन की कुर्सी से दो तीन कदम की दूरी पर था। दुकान के अंदर होने की बात उसने पुलिस को एफ0आई0आर0 प्र0पी0-1 एवं पुलिस कथन प्र0डी0-1 में नहीं लिखाई थी। दुकान की स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि दुकान का एक ही कमरा है जिसकी गहराई पन्द्रह फीट और चौड़ाई आठ फीट है। पुलिस ने दुकान से खून से सनी मिट्टी व सादा मिट्टी और दो कारतूस पिस्टल के एक जैसे व एक अलग प्रकार का मौके से जप्त किये थे और पेटी को उसने उसके सामने ही लूटा था। यह भी उसने प्र0पी0-1 में लिखाया था। रिपोर्ट प्र0पी0-1 में दुकान पर बैठे भाई गुलशनकुमार को बिना कुछ कहे जान से मारने की नीयत से गोली मारने की बात लिखाने से इन्कार किया है।

33. अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि तीनों बदमाश जब उनकी दुकान पर आये थे तब पिस्टल लेकर आये थे जिसके कारण वह डर गया था। इस कारण गल्ला लूटते समय उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। दो पिस्तौलें काले से रंग की थीं। बनावटी उनकी अलग-अलग थीं। बिण्डल, गुटका बीड़ी लेने के लिये जो व्यक्ति पहले आया था उसके बारे में पैरा-7 में उसका यह कहना रहा है कि वह लाल टी शर्ट पहने था और ब्राउन टोपा लगाये हुए था। उसने ही गुलशन को गोली मारी थी। काली टी-शर्ट पहने हुए लड़के ने गुलशन को गोली नहीं मारी थी ऐसा ही उसने पुलिस को रिपोर्ट में लिखाना कहा है और पैरा-8 में यह कहा है कि काली टी-शर्ट वाले ने उसके पिता शांतकुमार को गोली मारी थी तथा यह भी उसने स्पष्ट किया है कि आरोपी सतेन्द्र घटना के समय लाल टी-शर्ट और स्वेटर पहने था व ब्राउन टोपा लगाये हुए था। तीनों आरोपियों का एक ही मोटरसाइकिल से आना उसने देख लिया था। मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देखा है। लाल रंग की थी, कंपनी नहीं बता सकता। सतेन्द्र जब दुकान पर पहली बार शंकर बीड़ी, बिण्डल और राजश्री लेने आया था उस समय कोई विवाद नहीं हुआ था।

34. साक्षियों की मौके पर उपस्थिति के संबंध में अ0सा0-1 ने पैरा-9 में यह बताया है कि उनकी दुकान के बगल में उनके चाचा आनंद की दुकान थी जो खुली थी। आसपास की दुकान बंद हो गयी थीं और सदियों के समय वह रात नौ बजे दुकान बंद करते थे। वह दुकान बंद करने ही वाले थे तथा वह भी अपने पिता और भाई के साथ दुकान बंद कराके आता था। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि सतेन्द्र की उम्र 30-35 साल थी तथा शेष आरोपीगण जो उसके साथ थे जिनकी वह लाशों को जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में पहुंचना कहता है उनकी

उम्र 20-25 साल के बीच की थी।

35. इस साक्षी ने घटना के समय गोली चलाये जाने की दूरी के संबंध में पैरा-10 में यह बताया है कि उसके भाई गुलशन को करीब 4-5 इंच की दूरी से गोली मारी गई थी जो कंधे में लगी थी और उसके पिता को गोली टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने तीन चार फीट की दूरी से मारी थी। यह भी कहा है कि उसका भाई गुलशन काउण्टर पर अंदर गद्दी पर बैठा था। सतेन्द्र ने दुकान में घुसकर गोली सतेन्द्र को मारी थी और गुलशन के चिल्लाने पर वह बीच बचाव करने डर के कारण नहीं गया था। वह रिपोर्ट लिखाने चला गया था और उसके पिता व भाई को अन्य लोग अस्पताल ग्वालियर लेकर गये थे। मौके की स्थिति के संबंध में पैरा-11 में उसका यह भी कहना रहा है कि सड़क पर स्ट्रीट लाईट उस समय नहीं जल रही थी। अन्य जो दुकानें बंद थीं, उनके बारे में लाईट जल रही थी।

36. आनंदकुमार जैन अ0सा0-3 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अ0सा0-1 व 2 का समर्थन मूल घटना के संबंध में किया गया है। उसने पैरा-2 में यह बताया है कि उसकी दुकान और शांतकुमार की दुकान के बीच में गैलरी है। दोनों दुकानें संयुक्त रूप से चलती हैं जिनका क्षेत्रफल 16 गुणित 20 वर्गफीट है। दोनों दुकानों की गद्दी एक ही है जिस पर शांतकुमार व उनके लड़के बैठते थे। जब गुलशन को गोली मारी गई थी तब उसने पीछे से देखा था। गुलशन को जिसने गोली मारी थी वह लाल रंग की शर्ट स्वेटर के नीचे पहने था और ब्राउन रंग का टोपा लगाये था। साक्षी ने पुलिस को दिये प्र0डी0-3 के कथन में टोपा का रंग भूरा और ब्राउन दोनों बताये हैं और यह भी कहा है कि पुलिस को यह लिखा दिया था कि गुलशन जैन के चिल्लाने की आवाज आई थी कि मैं बंटी किरार हूँ, यह बोलते हुए उसने गोली मारी थी। साक्षी ने आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को 30-40 कदम दूर से पीछे से भागते हुए देखना ही पैरा-3 में बताया है और यह भी कहा है कि उस समय उसकी दुकान भी खुली थी, कोई ग्राहक नहीं थे तथा गली की ओर दुकानें बंद थीं। अमित, अतुल एवं उनके परिवारवालों की दुकानें खुली थीं। रात अंधेरी थी। जो दुकानें खुली थीं उनके बल्ब जल रहे थे। स्ट्रीट लाईट नहीं थी। इस साक्षी ने घटना के बाद आरोपी व उसके साथियों के पहले कुछ दूरी तक पैदल भागने, उसके बाद 50-60 कदम की दूरी पर उनकी दो मोटरसाइकिलें रखी होना बताते हुए उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठकर भागते देखना बताया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब उसके साथ प्रदीप जैन, अमित जैन व अतुल जैन भी गये थे। उस समय गुलशन व शांतकुमार बेहोश होकर गद्दी के पास पड़े थे। उसने गोली मारते हुए नहीं देखा था। मारकर भागते हुए एवं पैरा-4 में पीठ तरफ से भागते हुए देखना कहा है। पैरा-4 में ही साक्षीने घटनास्थल पर मोहित की उपस्थिति बताते हुए डर के कारण दुकान के अंदर छुप जाने की बात बताई है और यह कहा है कि वह शांतकुमार व गुलशन को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गया था और साथ में प्रदीप, अतुल व अमित भी गये थे। मोहित राजेन्द्र के साथ थाने की ओर रवाना हो गया था। तथा बाद में फोटो में चेहरा देखना और न्यायालय में साक्ष्य के दौरान साक्षात् देखना बताते हुए पहचाना है।

37. उक्त साक्षी अ0सा0-3 आनंदकुमार जैन ने पैरा-4 में यह भी कहा है कि

मोहित व अमित शिनाख्ती के लिये जेल गये थे। उसने मोहित, व अतुल ने बंटी का फोटो पहले थाने पर देखा था उसके बाद पहचान के लिये लेकर गये थे। दूसरे दिन मोहित ने उसे बंटी उर्फ सतेन्द्र को मौके पर पहचान लेने की बात भी बताई थी। पैरा-5 में यह कहा है कि फोटो मालनपुर के टी0आई0 शेरसिंह लेकर आये थे और उन्होंने बताया था कि यह बंटी उर्फ सतेन्द्र किरार है। उसने ही गोली मारी है। उसके बाद मोहित व अमित शिनाख्ती के लिये ग्वालियर जेल गये थे।

38. राजेन्द्र कुमार जैन अ0सा0-6 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में अ0सा0-1 व 2 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह कहा है कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर था। अचानक गोली चलने व गुलशन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह गुलशन की दुकान पर गया था। बाद में वहाँ जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी वह खड़ा था। जो तीस पैंतीस साल का होकर लाल स्वेटर पहने था तथा सफेद सा टोपा लगाये था। उसने ही जान से मारने की नीयत से गुलशन को गोली मारी थी। ऐसा शांतकुमार ने उसे बताया था। शांतकुमार ने यह भी बताया था कि एक लड़के ने उसे पकड़ लिया था और जो काली टी-शर्ट पहने था उसने उसे गोली मारी थी। मोहित भी वहीं काफी डरा हुआ था। फिर तीनों बदमाश हनुमान चौराहा की ओर भाग गये थे। इस साक्षी ने भी मौके पर आनंद, अतुल व रॉकी का भी मौजूद होना बताया है। यह कहा है कि वह मोहित के साथ रिपोर्ट करने के लिये थाना मालनपुर गया था। बाद में उसे यह भी पता चला था कि दुकान के गल्ले में से बदमाशों ने तीस पैंतीस हजार रुपये भी लूटे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने गुलशनकुमार और शांतकुमार को गोली मारते हुए स्वयं किसी को नहीं देखा। गोली चलने के तुरंत बाद वह मौके पर पहुंचा था तब दो बदमाश भाग चुके थे। उसने विचाराधीन आरोपी को वहीं मौजूद मिलना और लाल शर्ट पहने हुए होना बताया है। अमित व अतुल एवं अन्य लोगों का भी तुरंत ही मौके पर आ जाना बताते हुए यह कहा है कि मोहित उस समय छुप गया था नहीं तो उसको भी खतम कर देते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक गुलशन उसका नाती और आहत शांतकुमार उसका भतीजा लगता है। तथा घटना के समय मोहित दुकान के अंदर ही था। गोली लगते समय गुलशन गद्दी पर बैठा था। रुपये लूटने वाली बात भी शांत कुमार ने उसे बताई थी क्योंकि शांतकुमार गोली लगने के बाद तुरंत बेहोश नहीं हुआ था। कुछ समय बाद बेहोश हुआ था। उसका यह भी कहना रहा है कि घटना के समय उसकी दुकान खुली थी। कोई ग्राहक नहीं था। उसकी दुकान पर ही अतुल था। शांतकुमार चिल्लाया था कि गोली चल गई, गोली चल गई। गुलशन की आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी थी। न ही उसने गुलशन का चिल्लाना पुलिस को प्र0डी0-4 के कथन में लिखाना कहा है।

39. इस तरह से उक्त साक्षी शांत कुमार के बताये अनुसार घटना के संबंध में अभिसाक्ष्य देता है और वह घटना के तत्काल पश्चात मौके पर उपस्थित साक्षी की श्रेणी में होना स्वयं को स्थापित करता है जिसने पैरा-5 में यह भी स्पष्ट किया है कि घटनास्थल वाली दुकान से दो तीन दुकान आगे ही उसने आरोपीगण को भागते हुए देख लिया था जो सामने से देखा था। थोड़ा-थोड़ा चेहरा भी देख लिया था। अंधेरा होने के कारण अच्छी तरह नहीं देख पाया था।

उसकी और गुलशन की दुकान एक ही लाईन में बनी हैं। बीच में चार पांच दुकानें और हैं और आरोपी उसकी दुकान के सामने से ही भागा था। इस साक्षी ने भी मौके पर स्ट्रीट लाईट बंद होना और कुछ दुकानों के बाहर की लाईट का जलना, कुछ दुकानों का बंद होना बताते हुए यह कहा है कि उसकी दुकान के बाहर लाईट नहीं थी। इस साक्षी ने भी यह कहा है कि मोहित दोपहर में करीब चार बजे से दुकान बंद होने के समय तक दुकान पर रहता था जो वह पढ़कर आने के बाद दुकान में जाकर सहयोग करता था। जैसा कि अ0सा0-1 व 2 का भी कहना रहा है। रुपये लूटने की बात शांतकुमार ने भी बताई थी और मोहित ने गल्ला चैक किया था। गल्ला चैक करने के पहले आरोपी भाग गये थे।

40. पैरा-7 में इस साक्षी ने उजाले की स्थिति को स्पष्ट किया है और आरोपी के बारे में यह कहा है कि बंटी को पहले उसने थोड़ा थोड़ा देखा था। अच्छी तरह वह साक्ष्य के दौरान ही देखना बताता है। फिर उसने अपनी दुकान के अंदर की लाईट जलना और शटर खुला होना बताते हुए यह कहा है कि दुकान के सामने से मोटरसाइकिल तेजी से निकली थी और आरोपी बंटी मोटरसाइकिल पर भागते हुए पीछे बैठा था। जो घटनास्थल वाली दुकान से कुछ पैदल भागा था। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य अमित जैन अ0सा0-7 ने देते हुए विचाराधीन आरोपी को पहचानते हुए उसके द्वारा गुलशन को गोली मारने की बात बताई है और यह कहा है कि घटना वाली रात को वह पण्डितानी के होटल पर काम करता था और होटल से वह अपने घर वापिस रात नौ बजे करीब आ गया था और घर के दरवाजे पर खड़ा था। होटल से रात करीब 8.55 बजे वह निकल आया था। मोटरसाइकिल से घर आया था। उसके साथ होटल पर काम करने वाला दूसरा लड़का विनोद उसे मोटरसाइकिल से घर छोड़ गया था। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक गुलशन की दुकान उसके घर से दिखाई देती है। लेकिन दुकान के अंदर का व्यक्ति घर से दिखाई नहीं देगा। आरोपी ने किस दिशा से गोली चलाई, यह उसने नहीं देखा। लेकिन उसने आरोपी को दुकान से भागते हुए देखने की बात और गोली लगने के बाद गुलशन की दुकान पर पहुंचने की बात स्पष्टतः बताई है। क्योंकि सफीना फॉर्म प्र0पी0-10 व लाश पंचायतनामा प्र0पी0-11 का वह पंच साक्षी है जिस पर वह विनय और अजय के भी हस्ताक्षर बताता है। आरोपी से उसने किसी प्रकार की दुश्मनी से भी इन्कार किया है। अ0सा0-7 की तरह ही प्रदीप जैन अ0सा0-11 एवं अतुल जैन अ0सा0-27 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है।

41. इन्द्रवीर अ0सा0-13 और रामजी अ0सा0-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक को सब्जी मण्डी मालनपुर में अपनी उपस्थिति बताते हुए यह कहा है कि वे सब्जी खरीद रहे थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आने पर वे दोनों मौके पर गये थे और उन्होंने देखा था कि मालनपुर के दो दुकानदारों को गोलियाँ लगी थीं और गोली चलाने वालों को भी उन्होंने देख लिया था। जो तीन लोग थे। उनमें से एक काले रंग की टी शर्ट पहने था। दूसरा उन्होंने आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र की पहचान करते हुए कहा है कि उक्त आरोपी के द्वारा ही दोनों दुकानदारों को गोली मारी गई थी और गोली चलाने के बाद मोटरसाइकिल पर हनुमान चौराहा की तरफ भाग गये थे। फिर घायलों को उनके घरवाले ग्वालियर अस्पताल ले गये थे। जिसे गोली लगी उसका एक भाई थाने चला गया

था।

42. इन्द्रवीर अ0सा0-13 ने यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम खरौआ का रहने वाला है। गोहद और खरौआ दोनों जगह रहता है। उसका एक रिश्तेदार बीमार था जिसे देखने के लिये वह मोटरसाइकिल से गया था और मोटरसाइकिल से लौटकर मालनपुर आया था। करीब पौने नौ बजे वह सब्जी मण्डी मालनपुर में आ गये थे। मृतक के परिजनों के कहने पर झूठी गवाही देने से उसने इन्कार किया है। रामजीलाल अ0सा0-14 ने इसके अलावा अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वह भिण्ड ग्वालियर गोहद आता जाता रहता था। उनके गांव का एक लडका विकेश महाराजपुरा थाने में पुलिस में था जिसकी हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा की गई थी। उस मामले में आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र अभियोजित है या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है किन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि विकेश की हत्या के मामले में बंटी के अभियोजित होने के कारण ही वह झूठी गवाही दे रहा है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि आरोपी बंटी को उसने महाराजपुरा थाने पर किसी अन्य मामले में निरोध में देख लिया था जिसके कारण वह उसे पहचान रहा है। बल्कि उसने महाराजपुरा थाने में कभी भी जाने से ही इन्कार कर दिया है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि उसने गोली चलते हुए नहीं देखी।
43. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है कि रिपोर्ट अज्ञात में है और रिपोर्ट में आरोपी की कोई कद, काठी, हुलिया का उल्लेख नहीं है केवल आयु और कपड़ों के आधार पर उसे संलिप्त किया गया है। मोटरसाइकिल का भी कोई विवरण नहीं है। तथा घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं पाया गया है और उपरोक्त अ0सा0-1 लगायत 3, 6, 7, 11 एवं 27 जहाँ हितबद्ध साक्षी हैं वहीं अ0सा0-13 एवं 14 वास्तविक साक्षी नहीं हैं और उनकी काल्पनिक रूप से उपस्थिति दर्शाई गई है। उक्त साक्षियों के कथनों में भी गंभीर और तात्विक स्वरूप के विरोधाभाष हैं। तथा रिपोर्टकर्ता मोहित ने आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का नाम अनुसंधान में नहीं बताया है न ही उसका घटना को देखना बताया गया है। जैसा कि विकास करते हुए न्यायालय में बताता है और शिनाख्ती कार्यवाही भी पांच महीने बाद की है। तथा शिनाख्ती के पूर्व टी0आई0शेरसिंह के द्वारा आरोपी का फोटो दिखाकर यह बताते हुए कि उसके द्वारा घटना की गई है, उसके बाद पहचान की गई है। इसलिये उसकी पहचान दूषित है। जैसा कि अ0सा0-3 के पैरा-5 में आया है जिससे शिनाख्ती संदिग्ध हो जाती है। तथा जप्त की गई पिस्टलों की कोई पहचान नहीं है। पहने हुए कपड़ों के बारे में भी साक्षियों के कथनों में विरोधाभाष आया है और घटना के समय दुकान पर उजाले का प्रबंध नहीं था। गोली मारी जाने की दूरी के संबंध में भी गंभीर विरोधाभाष हैं। मेडिकल साक्ष्य से समर्थन नहीं है तथा दुकान के अंदर की घटना बताई गई है। मृतक का गद्दी पर बैठना बताया गया है लेकिन कोई ऐसी गद्दी जिस पर मृतक का खून लगा हो, जप्त ही नहीं हुई है एवं खून आलूदा व सादा मिट्टी दुकान के अंदर मिलना संभव नहीं है तथा साक्षियों ने पीछे से देखा है इसलिये भी पहचान संदिग्ध है। आनंद, प्रदीप, अतुल, राजेन्द्र, अमित, इन्द्रवीर, रामजी का मौके पर बाद में आना बताया गया है। ऐसे में वे चान्स विटनेस की श्रेणी में आते हैं और

उनकी साक्ष्य विरोधाभाषों के चलते कतई विश्वसनीय नहीं हैं। इन्द्रवीर व रामजी का रिश्तेदार आरक्षक विकेश जो कि पुलिस आरक्षक था, उसकी हत्या का मामला आरोपी के विरुद्ध विचाराधीन है। इस कारण वह झूठे गवाह बनाये हैं। मृतक और आहत को मारी गई गालियों की संख्या के बारे में भी विरोधाभाष है। इसलिये उक्त साक्षी किसी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य स्वाभाविक और विश्वसनीय है और सामान्य व स्वाभाविक विरोधाभाषों के चलते उनकी साक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

44. जहाँ तक साक्षी इन्द्रवीर अ0सा0-1 और रामजी अ0सा0-14 का प्रश्न है, उक्त दोनों ही मौके पर सब्जी खरीदने के लिये जाने के कारण उपस्थित साक्षी बताये गये हैं जिनके बारे में साक्ष्य में यह स्पष्ट हुआ है कि आरक्षक विकेश उनके गांव का है जिसकी हत्या हुई थी। किन्तु रामजीलाल हत्या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा करना बताता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विकेश की हत्या के मामले में भी विचाराधीन आरोपी अभियोजित है या नहीं, उक्त दोनों ही साक्षियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि घटना वाले दिन वह मोटरसाइकिल से ग्वालियर गये थे जो आपस में चाचा भतीजे हैं। लौटकर मालनपुर आये थे और सब्जी खरीद रहे थे जिनका ग्राम गोहद व खरौआ में रहना बताया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक नागरिक को कहीं भी विचरण करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में इस आधार पर उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है कि वे ग्राम खरौआ के रहने वाले हैं और मालनपुर में सब्जी क्यों लेने जाते वह भी रात के सवा नौ बजे। किन्तु बचाव पक्ष के उक्त आक्षेप का उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में स्पष्टीकरण आया है और उनके अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उनकी मालनपुर में उपस्थिति न हो और काल्पनिक रूप से उन्हें उपस्थित बताया गया हो। आरक्षक विकेश की हत्या का मामला आरोपी पर विचाराधीन होना बताया गया है। उक्त मामले में विकेश की अ0सा0-13 व 14 से कोई रिश्तेदारी हो ऐसा भी उनके अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। गांव का होना अवश्य बताया गया है और ऐसी भी परिस्थिति नहीं आई है जिससे यह माना जा सके कि दोनों साक्षियों का मालनपुर में विद्यमान होना असंभव हो क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदार जो ग्वालियर में बीमार था, उसे देखने जाने की बात बताई है जिसका खण्डन नहीं है। ऐसे में अ0सा0-13 व 14 की साक्ष्य को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत एस0एल0 तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 (2004) 11 एस0सी0सी0 पेज-410 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी साक्षी को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि वह चान्स वितनेस है। उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में गली में हत्या हुई थी और वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति साक्षी था जिसके संदर्भ में उक्त बात कही गई है। इस मामले में भी घटना बाजार की और दुकान की है। अ0सा0-13 व 14 को भी उसी बाजार में मौजूद होना बताया गया है और दोनों साक्षियों से बचाव पक्ष द्वारा यह नहीं पूछा गया है कि उन्होंने क्या सब्जी खरीदी या नहीं खरीदी?

45. जहाँ तक अन्य साक्षियों का प्रश्न है, अ0सा0-1 लगायत 3, 6, 7, 11 एवं

27 के साक्षी एक ही जाति के अवश्य हैं। मृतक और आहत की रिश्तेदारी भी है। किन्तु रिश्ते के साक्षियों के संबंध में ऊपर ही स्पष्ट किया जा चुका है। तथा न्याय दृष्टांत **भागलाल लोधी विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-2292** में भी यही मार्गदर्शित किया गया है कि किसी भी साक्षी को रिश्ते का साक्षी होने या हितबद्ध होने के आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।

46. जहाँ तक उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य में आये विरोधाभाषों का प्रश्न है, जिस पर बचाव पक्ष के द्वारा तर्क किया गया है कि उन्होंने घटना को विकास करते हुए और एक दूसरे से भिन्नता प्रकट करते हुए बताया है। इस संबंध में उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि साक्षियों के द्वारा बयानों में विरोधाभाष और वर्णन में परस्पर विरोधी एवं महत्वपूर्ण बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने के आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है और प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता अलग-अलग होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रघुवीरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 1987 करेन्ट किमिनल जजमेन्ट एम0पी0 पेज-441** का मार्गदर्शन अवलोकनीय है। साक्षी मृतक के निकट संबंधी होने के आधार पर ही अग्राह्य नहीं किये जा सकते हैं। जैसा कि न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध तेजराम एवं अन्य ए0आई0आर0 1999 सुप्रीमकोर्ट पेज-1796** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

47. साक्षियों के आचरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमणी विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 1999 सुप्रीमकोर्ट पेज-3544** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि घटना के बाद कोई चक्षुदर्शी साक्षी किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसके लिये कोई सार्वभौम सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि कई प्रकार के व्यक्ति एक ही घटना को देखकर अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कोई घटना देखकर वहीं चुपचाप स्थिर हो जाता है और उसकी आवाज नहीं निकलती है, जबकि कुछ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग पागलपन व्यवहार करते हैं, कुछ मदद के लिये पुकारते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं, कुछ डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताते हैं, आदि अनेक कारण होते हैं। हस्तगत मामले में चूंकि घटना में आग्नेय शस्त्रों का उपयोग किया गया जिसमें आहत शांतकुमार को दो गोली मारी गई, उसी दुकान में एफ0आई0आर0कर्ता मोहित जैन जो कि मृतक का भाई और आहत का पुत्र है, वह डर के कारण वहीं छुप जाना कहता है, ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि वह निहत्था था और घटना कारित करने वाले तीन लोग थे। ऐसे में उसका न्यायालय में दिया गया अभिसाक्ष्य जहाँ एक ओर स्वाभाविक है, वहीं मूल घटना का समर्थन करता है।

48. न्याय दृष्टांत **लक्ष्मन विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 1974 सुप्रीमकोर्ट नोट 308** में **प्रोफेसर वुण्ड्स वरगला एण्ड द मॉडर्न माईण्ड** का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि एक घटना कुछ व्यक्तियों को दिखाये जाने के बाद उनसे घटना के बारे में लिखवाया गया तो व्यक्तियों ने घटना का विवरण अलग अलग तरह से लिखा था। कई व्यक्तियों ने तो मुख्य घटना का उल्लेख ही नहीं किया और मुख्य

घटना के तथ्य ही नहीं लिखे जिसके आधार पर यह प्रतिपादित किया गया कि चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना का विवरण बताने में उसकी पृष्ठभूमि भी कारक होती है और घटना किसने कहाँ से देखी, किस रूप में देखी, उस पर निर्भर करता है। ऐसे में अभिसाक्ष्य में ब्यौरों में विरोधाभाष उत्पन्न किया जाना कुछ बिन्दुओं पर बढ़ा चढ़ाकर बता देने के आधार पर साक्षी पर अविश्वास नहीं किये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। जो कि हस्तगत मामले में अ0सा0-1 लगायत 3, 6, 7, 11 एवं 27 के अभिसाक्ष्य के लिये प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है।

49. न्याय दृष्टांत **मेहरबान सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए 0आई0आर0 1997 एस0सी0 पेज-1528** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साक्षियों की अभिसाक्ष्य में विरोधाभाष और विषंगतियों या आधिक्य के आधार पर उनकी अभिसाक्ष्य को अग्राह्य करने का आधार नहीं बनता है। क्योंकि प्रतिपरीक्षण के दौरान विस्तृत एवं चातुर्यपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया जाता है। ऐसे में विरोधाभाष उत्पन्न होना संभव हैं और उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हस्तगत मामले में भी बचाव पक्ष की ओर से जो बिन्दु साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के आधार पर उठाये गये हैं उन्हें इस आधार पर अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा मूल दी गई साक्ष्य में मूल घटना के बारे में समरूपता है और न्याय दृष्टांत **वामन एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2007) 7 एस0सी0सी0 पेज-295** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मूलतः यह देखा जाना चाहिए कि मूल घटना सिद्ध होती है या नहीं। यदि मूल घटना सिद्ध हो तब साक्षियों के कथनों में आये विरोधाभाषों के आधार पर उनकी अभिसाक्ष्य को दृष्टिओझल नहीं किया जा सकता है। हस्तगत मामले में भी मूल घटना जिसमें आहत शांतकुमार को जान से मारने की नीयत से दो गोली मारना बताई गई हैं जो कि साक्षियों के कथनों में काली टी शर्ट वाले व्यक्ति के द्वारा मारी गई थीं जो कि मुठभेड़ में मारा जा चुका है। विचाराधीन आरोपी के द्वारा मृतक गुलशन को गोली मारी गई। साक्षियों ने हालांकि जान से मारने की नीयत से भी मारने की साक्ष्य दी है किन्तु यदि ऐसा न भी बताया होता तब भी पिस्टल से दुकान के अंदर घुसकर गोलियों मारना स्वमेव ही हत्या के आशय को परिलक्षित करता है और इस प्रकार की घटना भा0द0वि0 की धारा-300 के खण्ड-1 के अंतर्गत ही आती है जिसमें यह प्रावधान है कि अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। और दिये गये पाँचों अपवादों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आयेगी और मामले में तो लूट की घटना भी बताई गई है तथा दुकान के गल्ले में से रुपयों का निकाल ले जाना भी बताया गया है। हालांकि रुपयों की कोई बरामदगी अनुसंधान में नहीं हुई है। किन्तु रुपयों के संबंध में अभिलेख पर इस आशय की लूटे गये रुपये एन्काउण्टर में मारे गये आरोपी शेर किरार एवं सोनू नागर ले गये थे। इस बारे में विचाराधीन आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का पुलिस अभिरक्षा में दिया गया प्र0पी0-13 का मेमोरेण्डम कथन महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में आरक्षक पवन अ0सा0-09 और छोटे राजा अ0सा0-17 तथा उक्त दस्तावेज के लेखक उपनिरीक्षक महेन्द्रदेव सिंह सेंगर अ0सा0-21 के द्वारा अभिसाक्ष्य दी गई है उनमें से कोई भी पक्ष विरोधी नहीं है जिससे घटना का

मोटिव स्पष्ट होता है। ऐसे में मूल घटना के संबंध में अ0सा0-1 लगात 3, 6, 7, 11, 13, 14 एवं 27 की साक्ष्य विश्वसनीय श्रेणी की होना पाई जाती है जिसमें मृतक को विचाराधीन आरोपी के द्वारा ही गोली मारना स्पष्ट रूप से आया है।

50. जहाँ तक आरोपी की पहचान का बिन्दु उठाया गया है कि रिपोर्ट अज्ञात में हैं और एफ0आई0आर0 में उसका कोई हुलिया अंकित नहीं है। जो पहचान कराई गई है वह भी टी0आई0 शेरसिंह द्वारा पहले फोटो दिखाया गया और बता दिया गया, उसके आधार पर ही हुई। जैसा कि अ0सा0-3 के अभिसाक्ष्य में आया है। अ0सा0-3 ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि पहचान के पहले टी0आई0 शेरसिंह द्वारा आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का फोटो दिखाकर यह बताया गया था कि इसके द्वारा ही गोली मारी गई है उसके बाद जेल में जाकर अमित व मोहितकुमार ने पहचान की थी। किन्तु यह बात मोहितकुमार अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में नहीं आई है कि उसे पहले फोटो दिखा दिया गया हो, उसके बाद उसने जेल में जाकर पहचान की हो। न ही अमित अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में आई है। प्र0पी0-6 आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र की शिनाख्ती का पंचनामा है जिसमें मोहित के द्वारा आरोपी की पहचान केन्द्रीय जेल ग्वालियर में अपर तहसीलदार श्रीमती पुष्पा द्वारा कराये जाना बताई गई है। मोहित अ0सा0-1 ने पहचान स्पष्ट रूप से की है। आरोपी को घटनास्थल पर देखना भी बताया है। घटनास्थल पर रात के सवा नौ बजे उजाले के प्रबंध बाबत भी अ0सा0-1 लगात 3, 6, 7, 11 एवं 27 के अभिसाक्ष्य में भी स्थिति स्पष्ट हुई है जिससे स्ट्रीट लाईट चालू न होने के बावजूद दुकानों की लाईट के उजाले में आरोपी को देखा जाना और घटना का देखा जाना स्वाभाविक रूप से संभव है। प्र0पी0-6 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पहचान के समय कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था और आरोपी को स्वेच्छया अनुसार कम में बैठने की अनुमति दी गई थी। मिलते-जुलते आरोपीगण को मिलाया गया था। प्र0पी0-6 मुताबिक कुल पांच अन्य व्यक्ति लगभग उम्र के मिलाये गये। जैसा कि श्रीमती पुष्पा अपर तहसीलदार ग्वालियर अ0सा0-15 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताते हुए शिनाख्ती की कार्यवाही को प्रमाणित किया है और केन्द्रीय जेल के मुलाकाती बरामदे में पहचान की कार्यवाही दिनांक 30.05.05 को कराई जाना बताई गई हैं।

51. मोहितकुमार अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि उसने आरोपी की फोटो पहले देखी हो, उसके आधार पर पहचान की हो बल्कि आरोपी की घटनास्थल पर विद्यमानता के संबंध में अन्य उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों की अभिसाक्ष्य में भी तथ्य आये हैं जिससे उसकी घटना में सक्रिय भागीदार होकर घटना का मुख्य अभियुक्त होना भी परिलक्षित होता है और शिनाख्ती की कार्यवाही में कोई विधिक विषंगति न होने से प्र0पी0-6 की कार्यवाही को अ0सा0-1 व 15 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित ठहराया जाता है। ऐसे में एफ0आई0आर0 में आरोपी के नाम का उल्लेख न होना कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है। क्योंकि स्वीकृत तौर पर आरोपी से आहत या अन्य साक्ष्यों की पहले से कोई बुराई भलाई नहीं है न ही पहले से उनका कोई परिचय था जिसकी वजह से नामजद रिपोर्ट होती। इसलिये ब0सा0-1 के रूप में आरोपी द्वारा दी गई साक्ष्य विधिक रूप से कोई महत्व नहीं रखती है।

52. मौके पर घटना के तत्काल पश्चात ही आनंद, प्रदीप, अतुल, राजेन्द्र आदि

के आने की स्थिति प्रकट होती है जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा। गोली मारते हुए मोहितकुमार अ0सा0-1 व शांतकुमार अ0सा0-2 ने स्पष्ट रूपसे देखा है। इसलिये उनकी साक्ष्य हर दृष्टि से पूर्ण विश्वसनीय श्रेणी की है।

53. जहाँ तक घटनास्थल से गद्दी या कुर्सी जिस पर मृतक का बैठना बताया गया है। उसके प्रमाणित न किये जाने का बिन्दु उठाया गया है वह भी निरर्थक है। क्योंकि यह स्पष्ट साक्ष्य आई है कि जब गोली मारी गई और साक्षी मौके पर पहुंचे तब मृतक और आहत बेहोश पड़े थे। किसी भी साक्षी ने न तो ऐसा बताया है कि गद्दी पर खून गिरा था और गद्दी पर मृतक और आहत गिरे हों। ऐसे में गद्दी के प्रमाणित न होने का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होगा और दुकान के अंदर गद्दी के पास गुलशन और शांतकुमार के पड़े होने की बात पैरा-3 में प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से बताई गई है जो अखण्डनीय है जिससे यही प्रकट होता है कि गद्दी पर कोई खून आदि नहीं गिरा होगा। प्र0पी0-3 मुताबिक मौके से जो खून आलूदा सादा मिट्टी और चले हुए दो कारतूसों के खोखे जिन पर के0एफ0 7.65 तथा एक खोखे पर के0एफ0 95-9 एम0एम0 2 जेड लिखा था, वह जप्त होना बताये गये हैं और उसके संबंध में मोहित अ0सा0-7 के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्र0पी0-3 के माध्यम से घटनास्थल से उक्त जप्ती टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-30 ने करना बताई है जो तीनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती हैं तथा जप्त वस्तुओं की जो एफ0एस0एल0 सागर से जांच कराई गई है जिसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है और एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट पर प्रदर्श अंकित नहीं है किन्तु वह धारा-293(i)(iV)(क) द0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। उसकी प्रतिलिपि भी बचाव पक्ष को दी गई है उससे भी उसकी पुष्टि होती है।

54. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी के पहने हुए कपड़ों के संबंध में भी अत्यधिक तर्क करते हुए संदेह उत्पन्न होने का बिन्दु उठाया गया है और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में भी इस बारे में विस्तृत रूप से साक्षियों से पूछा गया है किन्तु साक्षियों के कथनों में केवल इतना विरोधाभास अवश्य आया है कि कोई आरोपी का ब्राउन टोपा बताता है, कोई सफेद तो कोई भूरे रंग का टोपा बताता है, कोई लाल टी-शर्ट बताता है तो कोई स्वेटर बताता है। यह ऐसे विरोधाभास हैं, जो कि अत्यंत सामान्य श्रेणी के हैं और उनके आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य को देखते हुए कोई संदेह नहीं माना जा सकता है।

55. जहाँ तक गोली चलने की दूरी का प्रश्न है, उसके बारे में मृतक गुलशन का पी0एम0 करने वाले चिकित्सक डॉ0 जे0पी0 गुप्ता अ0सा0-16 ने दो फीट से अधिक दूरी से मृतक को गोली लगना बताया है। इस प्रकार साक्षियों ने दूरी ऐसी ही बताई है। लेकिन मोहित अ0सा0-1 के पैरा-10 में चार पांच इंच की दूरी से गोली गुलशन को मारना बताई गई है। पिता को तीन चार फीट की दूरी से ही गोली मारना बताया है। किन्तु इस आधार पर पूरी साक्ष्य अग्राह्य नहीं होगी क्योंकि किसी विशेष वाक्य के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है बल्कि सुस्थापित विधिक सिद्धान्त यह है कि संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसलिये चार पांच इंच की दूरी का उल्लेख संदेहजनक नहीं है। यह भी संभव है कि भूल या टंकणीय त्रुटि से भी चार पांच फीट के बजाय

चार पांच इंच लिख गया हो इसलिये उसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

56. आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र की प्र०पी०-12 के माध्यम से गिरफ्तारी होना बताई गई है और उसके संबंध में आरक्षक महेश अ०सा०-8 एवं आरक्षक विलियम त्रिखी अ०सा०-22 और उपनिरीक्षक महेन्द्रदेव सिंह सेंगर अ०सा०-21 का अभिसाक्ष्य आया है। गिरफ्तारी के बारे में कोई अन्यथा स्थिति उनके अभिसाक्ष्य में प्रकट नहीं हुई है। गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दी गई है और गिरफ्तारी पश्चात ही प्र०पी०-13 का धारा-27 साक्ष्य विधान का उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध हुआ है जिसमें यह तथ्य प्रकट किया गया था कि आरोपी की 9 एम०एम० की पिस्टल जिसका खोखा मौके पर भी मिला। वह थाना महाराजपुरा के द्वारा जप्त की गई। यह विशिष्ट तथ्य आरोपी की जानकारी के आधार पर ही आया है जिसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुई है।
57. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध दामू गोपीनाथ शिन्दे ए०आई०आर० 2000 एस०सी० पेज-1651** अवलोकनीय है जिसमें यह मार्गदर्शित किया गया है कि धारा-27 साक्ष्य अधिनियम मूल रूप से पश्चातवर्तीय घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है जो यह है कि अभियुक्त द्वारा सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो वह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है। साथ ही किसी वस्तु की बरामदगी किसी तथ्य का पता लगना नहीं है। लेकिन वस्तु जिस स्थान पर रखी गई थी उसका ज्ञान अभियुक्त को था। अतः वस्तु का प्रस्तुत किया जाना सुसंगत तथ्य का पता लगना है जो विचाराधीन मामले में आरोपी के संबंध में लागू किये जाने योग्य है क्योंकि महाराजपुरा थाना ग्वालियर के द्वारा 9 एम०एम० की पिस्टल उससे बरामद होना बताई गई है। प्र०पी०-3 के जप्ती पत्रक मुताबिक मौके से भी 9 एम०एम० कारतूस का खोखा बरामद हुआ है और जांच में एफ०एस०एल० रिपोर्ट में उसकी पुष्टि भी हुई है। इसलिये इस संबंध में आरोपी का यह कहना कि काईम ब्रान्च वालों ने पिस्टल शेरा के बहनोई से बरामद करके उससे दिनांक 17.12.14 को गलत रूप से बरामद होना बताई, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है।
58. पिस्टल बरामदगी के संबंध में स्वयं आरोप बंटी उर्फ सतेन्द्र के द्वारा ब०सा०-1 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पिस्टल बरामद होना दर्शाई है। अर्थात् पिस्टल बरामदगी के तथ्य की जानकारी उसे प्रारंभिक स्तर पर है। किन्तु आरोपी की ओर से इस संबंध में कहीं कोई शिकायत किया जाना नहीं बताया गया है कि पुलिस ने उस पर असत्य रूप से पिस्टल बरामद होना दर्शाई है। इसलिये पिस्टल बरामदगी के संबंध में ब०सा०-1 का पैरा-7 का अभिसाक्ष्य कतई स्वीकार योग्य नहीं है। बल्कि 9 एम०एम० की पिस्टल आरोपी से ही बरामद होना प्र०पी०-19 मुताबिक प्रमाणित होता है और 9 एम०एम० की पिस्टल का घटना में उपयोग होना भी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है। क्योंकि घटनास्थल से 9 एम०एम० के कारतूस के खोखे की बरामदगी भी प्र०पी०-3 मुताबिक हुई है।
59. इस संबंध में प्र०पी०-19 का दस्तावेज महत्वपूर्ण है जिसमें दिनांक 17.12.14 को 9 एम०एम० पिस्टल की बरामदगी आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र से थाना

महाराजपुरा ग्वालियर की पुलिस के द्वारा अप0क0-461/14 में जप्त की गई थी और उसके संबंध में थाना महाराजपुरा के थाना प्रभारी अजय पंवार अ0सा0-23 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसने यह भी बताया है कि दिनांक 12.12.14 को हुए पुलिस एन्काउण्टर में मृतक रवि उर्फ शेरा मारा गया था जिससे 32 बोर की पिस्टल अन्य वस्तुओं के साथ बरामद हुई थी। साक्षी ने उक्त एन्काउण्टर से संबंधित अप0क0-490/14 की एफ0आई0आर0 की सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-17, जप्ती पत्रक प्र0पी0-18 को भी प्रमाणित किया है और इस बात की भी स्पष्ट पुष्टि की है कि दिनांक 17.12.14 को आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उससे 9 एम0एम0 की पिस्टल की लोडेड स्थिति में जप्ती इन्द्रवीर और रामवीर के समक्ष की गई थी। उसने यह अवश्य स्वीकार किया है कि आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को गिरफ्तार करके थाना पुलिस मालनपुर को नहीं दिया था लेकिन थाना मालनपुर ने थाना महाराजपुरा में बंटी से पूछताछ अवश्य की थी। पूछताछ के आधार पर ही बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि आरोपी को टी0आई0 शेरसिंह ने महाराजपुरा में देख लिया था और उसकी फोटो शिनाख्ती के पूर्व दिखा दी किन्तु ऐसा अ0सा0-30 की साक्ष्य में नहीं आया है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी शेरा के बहनोई से पिस्टल बरामद कर बंटी उर्फ सतेन्द्र पर गलत जप्ती होना बताई है। बल्कि प्र0पी0-19 मुताबिक ही जप्ती होना दिये गये सुझावों और उसके संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

60. प्र0पी0-4 के शिनाख्ती पंचनामा मुताबिक सोनू नागर का शव दिनांक 08.12.14 को अ0सा0-1 मोहितकुमार द्वारा पहचाना गया था और प्र0पी0-5 मुताबिक शेरा किरार का शव दिनांक 12.12.14 को पहचाना गया था जिसके संबंध में मोहित अ0सा0-1 की स्पष्ट रूप से साक्ष्य आई है। तथा प्र0पी0-4 व 5 के संबंध में विनोद शर्मा अ0सा0-12 के द्वारा भी समर्थन करते हुए यह बताया गया है कि जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में शव गृह में मोहित जैन ने जिस लाश की पहचान की थी, उसके द्वारा उसके पिता व भाई को गोली मारना बताई गई है और उसके संबंध में टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-30 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में प्रमाणित किया है। अमित उर्फ रॉकी अ0सा0-7 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उसकी पुष्टि की है।

61. प्र0पी0-14 के जप्ती पत्रक मुताबिक मृतक गुलशन के अस्पताल गोहद से कपड़ों की पोटली और अस्पताल के सील नमूना की जप्ती करना बताई गई है जिसकी पुष्टि प्र0आर0 देवेन्द्रसिंह अ0सा0-19 के द्वारा की गई है और यह बताया गया है कि प्र0आर0 संतोष तिवारी द्वारा जप्त किया गया था। उसके संबंध में आरक्षक गंभीरसिंह अ0सा0-10 ने भी प्र0पी0-14 का समर्थन किया है।

62. प्र0पी0-21 की मार्ग सूचना प्र0आर0 संतोष तिवारी अ0सा0-26 के द्वारा पंजीबद्ध करना और उसकी सूचना एस0डी0एम0 को देना बताया है जो दिनांक 04.12.14 को दिन के करीब ढाई बजे करना और उसकी रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि करना बताई गई है। प्र0पी0-14 उक्त साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

63. घटना के विवेचक टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-30 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 को लेखबद्ध करने के अलावा प्र0पी0-3 की

जप्ती घटनास्थल की प्र0पी0-4 व 5 की एन्काउण्टर में मारे गये आरोपियों की शिनाख्ती करके पुष्टि करते हुए आंशिक विवेचना को प्रमाणित किया है।

64. अभिलेख पर सह अभियुक्त रहे रवि उर्फ शेरा किरार की पुलिस एन्काउण्टर में लक्ष्मनगढ़ फ्लाईओवर से एक किलोमीटर आगे दिनांक 12.12.14 को मारे जाने और उसके संबंध में थाना महाराजपुरा में अप0क0-490/14 कायम होना बताया गया है। तथा सोनू नागर एवं विकी उर्फ विकास मेहतर के साथ सागरताल चौराहा से जलालपुर गैस गोदाम के पास थाना बहोडापुर ग्वालियर में पुलिस मुठभेड़ में दिनांक 07.12.14 को मारे जाने और उसके संबंध में थाना बहोडापुर में अप0क0-352/14 कायम होना बताया गया है जिसके संबंध में कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है। मुठभेड़ के संबंध में भी अभिलेख पर साक्ष्य पेश की गई है जिसमें मातादीन धाकड़ अ0सा0-25 के द्वारा जलालपुर सागरताल रोड़ ग्वालियर पर हुए मुठभेड़ में घटनास्थल से 32 बोर की पिस्टल मैगजीन जिसमें दो कारतूस थे, एक शासकीय 9 एम0एम0 पिस्टल, पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबरी, एक हेल्मेट, 9 एम0एम0 पिस्टल के कारतूस और 32 बोर के खोखा का भी बरामद होना अन्य वस्तुओं के साथ बताये गये हैं और उसके संबंध में आर0एस0 परमार अ0सा0-28 ने साक्ष्य दी है तथा थाना बहोडापुर में पंजीबद्ध हुए अप0क0-952/14 की एफ0आई0आर0 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-22, मौके से हुई वस्तुओं की जप्ती प्र0पी0-23 के मुताबिक होना बताते हुए उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ साक्ष्य में पेश की गई हैं जिसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति नहीं आई है। विचाराधीन मामले के कथानक में भी मोटरसाइकिल का उपयोग होना बताया गया है। एक व्यक्ति पर हेल्मेट भी बताया गया है जो कि अ0सा0-28 के द्वारा दी गई साक्ष्य से कड़ी के रूप में जुड़ता है।

65. इस प्रकार से अभियोजन की ऊपर वर्णित साक्ष्य में घटना दिनांक 14-3-12 के रात के 9:15 बजे की महावीर किराना स्टोर जैन मंदिर के पास सब्जी मण्डी मालनपुर में विचाराधीन आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के एन्काउण्टर में मारे गये आरोपी शेरा उर्फ रवि किरार एवं सोनू नागर के साथ उपस्थिति सुनिश्चित हो गयी तथा यह भी सुनिश्चित है कि संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि विचाराधीन आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी के द्वारा ही गुलशन कुमार जैन को पिस्टल से दो गोलियां मारी गयी थी जिससे उसकी मृत्यु कारित हुयी। ऐसी स्थिति में आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के विरुद्ध संदेह से परे धारा 302 भा0द0वि0 का आरोप मृतक गुलशन के संबंध में प्रमाणित हो जाता है क्योंकि आग्नेयशस्त्र से गोली मारना साशय ऐसी परिधि में होता है और मृतक के शवपरीक्षण में भी आग्नेयशस्त्र से चोटें कारित की जाना पायी गयी थी गोली शव में नहीं मिली थी क्योंकि आरपार निकल गयी थी। तथा घटनास्थल से 9 एमएम के कारतूस के खोखे प्राप्त होना प्र0पी0 3 के अनुसार जप्त होना परिलक्षित होता है। इसलिये आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र मृतक गुलशन की हत्या के आरोप में धारा 302 भा0द0सं0 में दोष सिद्ध ठहराया जाता है।

66. विचाराधीन मामले की घटना में मृतक गुलशन के पिता शान्त कुमार जैन पर भी जान से मारने की नियत से गोलियां मारी जाने की घटना बतायी गयी है उनके संबंध में भी उपर आयी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है। यह स्पष्ट रूप से आया है कि आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के साथ काली टीशर्ट में

जो व्यक्ति था उसके द्वारा शान्त कुमार को गोलियां मारी गयी थी । उन अभियुक्तों की मोहित कुमार जैन अ0सा01 के द्वारा प्र0पी04 एवं 5 सिनाख्ती पंचनामा मुताविक आरोपियों के शव को देखकर सिनाख्त की गयी है । इस संबंध में डॉ0 के0एस0भल्ला अ0सा029 के द्वारा शान्त कुमार जैन का ऑपरेशन करके उसके गर्दन के पीछे बीचो बीच गोली को ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया था तथा एक गोली शान्त कुमार जैन के दाहिने कांख के पीछे से गोली ऑपरेशन करके निकाली गयी थी । प्र0पी0 16 के जप्ती पत्र मुताविक शान्त कुमार जैन के खून आलुदा कपड़े तथा शरीर से निकाली गयी बुलेट, सहारा अस्पताल का सील नमूना जप्त करना बताया गया है । जिसकी पुष्टि आरक्षक नरेन्द्र अ0सा018 ने अपने अभिसाक्ष्य में की है और प्र0पी0 16 की जप्ती पत्रक की पुष्टि प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ0सा020 के द्वारा की गयी है । प्र0पी0 16 के जप्ती पत्रक में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुयी है । पोटली पर चिट लगी होना अ0सा020 ने बताया है उसे खोलकर नहीं देखा गया था क्योंकि जप्तीकर्ता अधिकारी को पोटली खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं होती । प्र0पी0 16 की जप्ती दिनांक 25-1-15 को दिन के 1 बजे थाना मालनपुर पर लाना बतायी गयी है जिसे सहारा अस्पताल से आरक्षक नरेन्द्र भार्गव लेकर आया था । प्र0पी0 16 के संबंध में अ0सा018 एवं अ0सा020 की साक्ष्य एक दूसरे के संपुष्टिकारक है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आहत शान्त कुमार पर जो प्राणघातक हमला हुआ था उसमें उसे दो गोलियां लगी थी । जप्त वस्तुओं की एफ0एस0एल0 जांच राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर से करायी गयी जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 6-5-16 में जो अभिमत दिया गया है उसमें जप्त बुलेट की इस रूप में पुष्टि होती है जो नाईन एमएम पिस्टल और 32 बोर पिस्टल बरामद हुयी उनसे ही मृतक ओर आहत को गोलियां मारी गयी थी । एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की ग्राह्यता के संबंध में ऊपर विधिक स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

67. विचाराधीन आरोपी के साथियों के द्वारा शान्त कुमार जैन को गोलियां मारना जहां एक ओर स्वयं शान्त कुमार जैन ने अपने साक्ष्य में स्थापित किया है जिसका समर्थन मोहित अ0सा01, आनन्द जैन अ0सा03, राजेन्द्र जैन अ0सा06, अमित उर्फ रोकी अ0सा07, प्रदीप जैन अ0सा011, अशोक जैन अ0सा027 ने भी किया है । अभियोजन के वृत्तान्त में भी जान से मारने की नियत से गोलियां मारना बताया गया है । हालांकि एफ0आई0आर0 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिना कुछ कहे सुने गोलियां मारी गयी हैं और न्यायालय में जो साक्ष्य आयी है उसमें लूट की घटना भी बतायी गयी है । लूट के संबंध में आगे साक्ष्य का मूल्यांकन होगा क्योंकि एफ0आई0आर0 में लूट की घटना को अंजाम देने के अनुक्रम में मृतक और आहत को गोलियां आरोपी एवं उसके मृत साथियों के द्वारा मारे जाने का उल्लेख न होना कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता ।

68. धारा 307 भा0द0सं0 के प्रमाण के लिये आहत को पहुंची चोटें इस प्रकृति की होना आवश्यक हैं जो कि धारा 300 भा0द0वि0 की परिधि में आती हों । जैसा कि न्यायदृष्टान्त चन्द्रभानसिंह बनाम स्टेट आफ एम0पी02011 आई0एल0आर0(3)एम0पी0एन0ओ0सी0 79 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है । विचाराधीन मामले में आहत शान्त

कुमार जैन को पिस्टल से गोलियां मारी गयी हैं। आग्नेयशस्त्र से जान से मारने की नियत से फायर किया जाना भी धारा 307 भा0द0सं0 के अपराध को आकृषित करता है भले ही गोली न लगे तब भी इस मामले में शान्त कुमार जैन आहत को दो गोलियां लगी थी जो कि शरीर के मार्मिक अंगों में लगी हैं। जैसा कि डॉ0ए0एस0भल्ला अ0सा029 ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि एक गोली गाल में लगी जिससे जबड़े की हड्डी टूटना पाया गया गोली गर्दन के पीछे बीचों बीच से निकाली गयी तथा दूसरी गोली दाहिने कांख से निकाली गयी जो कि स्वमेव प्राणघातक उपहति को स्थापित करने के लिये पर्याप्त है और इसके संबंध में प्रत्यक्ष साक्षी अ0सा01 लगायत अ0सा03, 06, 7, 11, 14 एवं 27 के अभिसाक्ष्य में भी आयी है जो मौके और चिकित्सीय साक्ष्य के एक दूसरे से कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिये भले ही शान्त कुमार जैन को मारी गयी गोलियां विचाराधीन आरोपी बंटू उर्फ सतेन्द्र के द्वारा नहीं मारी गयी किन्तु घटना में उसकी सक्रिय भागीदारी एवं उसके साथियों के द्वारा गोलियां मारी गयी। ऐसे में आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का कृत्य धारा 34 भा0द0वि0 की परिधि में आहत शान्त कुमार जैन को पहुंची हुयी चोटों के संबंध में माना जायेगा।

69. धारा 34 भा0द0वि0 के संबंध में न्यायदृष्टान्त **दयाशंकर बनाम स्टेट आफ एम0पी0(2009)एम0पी01197(एस0सी0)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि सामान्य आशय साक्ष्य का एक नियम है जो अपराध में भाग लेने की क्रिया के आधार पर दोषी प्रमाणित करता है जो कि विचाराधीन मामले में लागू होता है। अन्य न्यायदृष्टान्त **जीतू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2004(2)जे0एल0जे0 पेज 83** में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 भा0द0वि0 के संबंध में यह मार्गदर्शन दिया है कि जहां अभियुक्तों का घटना में भाग लिया जाना आहत एवं प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों मेडिकल रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 से साबित होता है तो वहां उक्त प्रावधान आकर्षित होगा। विचाराधीन मामले में आहत शान्त कुमार जैन अ0सा02 मौके के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी मोहित जैन अ0सा01, आनन्दजैन अ0सा03 तथा मौके पर पहुंचे अन्य साक्षी अ0सा06,7,11,13,14 एवं अ0सा027 के द्वारा भी समर्थन किया गया है। इसलिये विचाराधीन आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे शान्त कुमार जैन को कारित प्राणघातक चोटों के लिये धारा 307 सहपठित धारा 34 भा0द0वि0 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक :-4 व 5 का निराकरण

70. लूट के संबंध में साक्ष्य का उपर जो विश्लेषण किया गया है उसमें घटनास्थल डकैती प्रभावी क्षेत्र का होना माना जा चुका है और ऊपर वर्णित साक्ष्य के विस्तृत रूप से किये गये विश्लेषण में यह भी स्थापित हो चुका है कि घटना में आग्नेयशस्त्र का उपयोग किया गया है। जहां तक तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर फरियादी के आधिपत्य से रूपयों की लूट कारित की जानी का बिन्दु है। इसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी है उसमें जिस राशि की लूट बतायी गयी है उसमें से कोई राशि अनुसंधान के दौरान बरामद नहीं हुयी है। एफ0आई0आर0 प्र0पी0 1 में लूट के संबंध में

उल्लेख नहीं है। किन्तु अनुसंधान स्तर पर घटनास्थल वाली मृतक और आहत की दुकान के गल्ले में से बाद में चेक करने पर करीब तीस पैंतीस हजार रुपये की लूट होना भी बताया गया है और उसके संबंध में मोहित कुमार जैन अ0सा01 ने दुकान की बिक्री की पेटी (गल्ले से) रुपयों की लूट होना बताया गया है रुपयों की संख्या नहीं बतायी है। उसके पुलिस कथन प्र0डी01 के बी से बी भाग में बाद में गल्ले में से कुछ रुपये भी निकालकर ले जाना पता चला है। उक्त साक्षी की दुकान के अंदर ही मौजूदगी बतायी गयी है। इसके अलावा आहत शान्त कुमार जैन अ0सा02 एवं आनन्द जैन अ0सा03 के अभिसाक्ष्य में रुपयों के संबंध में कोई कथन नहीं आया है। राजेन्द्र कुमार जैन अ0सा03 ने यह साक्ष्य दी है कि बाद में पता चला था कि गुलशन के दुकान के गल्ले में से तीस पैंतीस हजार रुपये लूटकर ले गये हैं। यह बात उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र0डी04 एवं न्यायालय में हुये साक्ष्य कथन में भी आया है तथा पैरा तीन में उसने तीस पैंतीस हजार रुपये लूट की बात शान्त कुमार से बाद में पता चला था। अनित उर्फ राँकी अ0सा07 ने भी अ0सा06 की तरह ही तीस पैंतीस हजार रुपये की लूट होना और उसके बारे में शान्त कुमार जैन के द्वारा बताया जाना बताया है।

71. इस संबंध में प्र0पी0 13 का आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र का धारा 27 साक्ष्य विधान के तहत लिया गया मेमोरेण्डम महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका कि उपर भी उल्लेख किया जा चुका है जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि लूट के रुपये एनकाउंटर में मारे गये रुपये शेरार उर्फ रवि किरार एवं सोनू नागर ले गये थे इसलिये रुपयों की बरामदगी न हो पाना लूट संबंधी उक्त आरोप को संदिग्ध नहीं बनाता है क्योंकि यदि शेरार उर्फ रवि किरार एवं सोनू नागर पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारे गये होते तो अनुसंधान के दौरान उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाकर रुपयों की बरामदगी का प्रयास किया जा सकता था। ऐसे में रुपयों की बरामदगी न हो पाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं बनाता है। क्योंकि हर परिस्थिति में रुपयों की बरामदगी अनिवार्य अवयव नहीं है।

72. यह उपर भी स्पष्टतः निष्कर्ष आ चुका है कि उक्त घटना में गुलशन की गोली लगने से मृत्यु हुयी और शान्त कुमार प्राणघातक हमले में घायल हुये हैं। इसलिये तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालने के तत्व स्वमेव स्थापित हैं बल्कि मृत्यु व प्राणघातक उपहति घटना में कारित ही की गयी इसलिये उक्त आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को धारा 397 सहपठित धारा 34 एवं एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा 11 का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 11/13 के तहत भी दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

73. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के उपरोक्त वर्णित मूल्यांकन अनुसार आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र किरार को धारा-302 भा0द0वि0 मृतक गुलशन कुमार जैन के संबंध में, धारा-307/34 भा0द0वि0 आहत शान्त कुमार के संबंध में एवं लूट के संबंध में धारा-397/34 भा0द0वि0 एवं डकैती प्रभावित क्षेत्र में घटना कारित करने से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-11/13 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। मामला गंभीर प्रकृति का है और ऐसे अपराधों में आरोपी सदाचार की परीक्षा का पात्र नहीं होता है। इसलिये दण्डाज्ञा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अपराधों

में उभयपक्ष को सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---दण्डाज्ञा ---

74. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष दोनों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये। ए.जी.पी. का तर्क है कि आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित गंभीर स्वरूप की घटना को कारित किया गया है इसलिये आरोपी को कड़े से कड़े दण्ड से दण्डित किया जावे। जबकि आरोपी के विद्वान अधिवक्ता क यह तर्क है कि आरोपी को साजिश के तहत अन्य लोगों ने फंसा दिया है और वह प्रथम अपराधी है इसलिये उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे।
75. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर चिन्तन,मनन कर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की परिस्थितियों पर विचार किया गया। उक्त घटना में आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र के द्वारा अपने अन्य साथियों जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, उनके साथ मिलकर एक दुकानदार के साथ घटना को दुकान में घुसकर अंजाम दिया गया है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति गुलशनकुमार की हत्या की गई है तथा उसके पिता शांतकुमार को प्राणघातक चोटें आग्नेय शस्त्र का प्रयोग करते हुए पहुंचाई गई हैं और यह आहत शांतकुमार का भाग्य ही है कि वह शरीर के मार्मिक अंगों पर गोली लगने के बाद उपचार होने से जीवित बच गया तथा घटना में लूट भी हुई है। किन्तु मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आना नहीं पाया जाता है। किन्तु मामला गंभीर प्रकृति का है और ऐसे अपराधों से समाज में भय का वातावरण बनता है। अतः ऐसे मामलों में यथोचित दण्ड दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत यूनिशन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह (2004) वॉल्यूम-1। एस.सी.सी. पेज-590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03जे.एल.जे. (एस.सी.) पेज-277 अवलोकनीय है।
76. फलतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आरोपीगण सतेन्द्र उर्फ बंटी को दोषसिद्ध अपराधों के लिए दोषी मानते हुए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :-

धारार्यें	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में कारावास
302 भा0द0वि0	आजीवन कारावास सश्रम	पांच हजार रुपये	दो वर्ष का साधारण कारावास
307 / 34 भा0द0वि0	दस वर्ष सश्रम	पांच हजार रुपये	एक साल का साधारण कारावास
397 / 34 भा0द0वि0	सात वर्ष सश्रम	तीस हजार रुपये	01 साल 06 माह का साधारण कारावास
11 / 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 ए कट 1981	सात वर्ष सश्रम	एक हजार रुपये	छः माह का साधारण कारावास

77. आरोपी को दी गई कारावास की सभी सजाएँ साथ साथ भुगताई जावें। चूंकि आरोपी जेल में निरुद्ध है अतः उसका सजा वारण्ट तैयार किया जाकर उसे अधिरोपित कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे। जिसके साथ आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में दिनांक 12.02.15 से आज तक काटी गई अवधि मूल सजा में समायोजित किये जाने बाबत धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
78. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से बतौर प्रतिकर धारा-357 द.प्र.सं. के अंतर्गत आहत शांत कुमार जैन पुत्र रामनारायण जैन निवासी सब्जी मण्डी मालनपुर को तीस हजार रुपये अपील अवधि उपरान्त विधिवत प्रदान किये जावें।
79. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 9 एम0एम0 पिस्टल तथा खाली खोखा अपील अवधि उपरान्त विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें तथा जप्तशुदा शेष संपत्ति मृतक व आहत के कपड़े, खून आलूदा व सादा मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त नष्ट किये जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।
80. निर्णय की प्रति आरोपी को निशुल्क प्रदान की जावे।
81. निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 08 जून-2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिविधि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)